नर्मदा जल प्रदाय योजना
खण्डवा (म.प्र.)

2013

आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित

स्वतंत्र समिति का प्रतिवेदन

दिनांक : 01 जून 2013

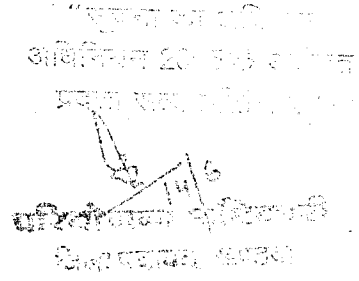

खण्डवा नर्मदा जल प्रदाय योजना संबंधी प्राप्त दावें/आपत्तियों के निराकरण बाबत् गठित स्वतंत्र समिति का प्रतिवेदन दिनांक 01 जून 2013

प्रस्तावना :

शासन द्वारा नर्मदा जल के दावें एवं आपत्तियों की सुनवाई हेतु गठित स्वतंत्र समिति सर्वप्रथम केन्द्र, राज्य शासन एवं स्थानीय निकाय और उन सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी जिन्होंने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इस महती योजना द्वारा नर्मदा जल को खंडवा लाने के प्रयास किये उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती है ।

खंडवा नगर की बढ़ती हुई पेयजल समस्या के निवाराणार्थ नगर निगम खंडवा द्वारा केन्द्र शासन की यूआईडीएसएराएमटी योजना जो कि मझले एवं छोटे शहरों की अधोसंरचना विकास के निमित बनाई गई थी के अंतर्गत प्रस्ताव बनाकर मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिसमें नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना के बेकवाटर से चारखेडा के पास छोटी तवा नदी से नर्मदा जल को लगभग 52 कि.मी. की पाईप लाइन द्वारा खंडवा शहर लाया जाना है ।

मूल रूप से इस योजना में 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत राशि नगर निगम खंडवा के अंशदान के रूप में लगाई जानी थी किन्तु नगर निगम खंडवा द्वारा अपने 10 प्रतिशत अंशदान की राशि लगाने में असमर्थ होने के कारण योजना को जन निजीभागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है ।

इस योजना को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 17.09.2007 को 106.72 करोड़ लागत की स्वीकृति प्राप्त हुई । इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ भोपाल थी, वर्तमान में नोडल एजेंसी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल है । भारत सरकारी की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत इस योजना को 20 मार्च 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई ।

योजना की डीपीआर एवं निविदा प्रपत्र बनाने का कार्य योजना सलाहकार मेहता एंड एसोसिएट इंदौर को दिया गया था।

निगम की साधारण सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च 2008 को जन निजी भागीदारी में उक्त योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

दिनांक 02.04.2008 को कलेक्टर महोदय खंडवा की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की बैठक में इस कार्य को जन निजीभागीदारी योजनान्तर्गत करवाये जाने हेतु जो निर्णय लिये गये उनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार है :–

01. जल वितरण हेतु पाईप लाइनों का संधारण निविदाकार द्वारा किया जायेगा । किन्तु जल वितरण का संचालन तथा जल कर की वसूली का कार्य नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा किया जायेगा ।

02. अदृश्य एवं तकनीकी कारणों से पानी प्राप्त नहीं होने पर नगर में पेयजल वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

सूचना का अधिकार ... 2005 के अंतर्गत ... सत्य प्रतिलिपि

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

योजना की प्रथम निविदा दिनांक 17.04.2008 को बीओटी के अंतर्गत बुलवाई गई थी । दिनांक 16.04.2008 को शुद्धि पत्र–2 में अन्य संशोधनों के साथ योजना के कार्य नाम में परिवर्तन कर Water supply augmentatioin project under UIDSSMT .... on BOT basis के स्थान पर Water supply augmentatioin project under UIDSSMT .... on PPP basis कर दिया गया ।

एक वर्ष से भी अधिक समय तक चली निविदा प्रक्रिया विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जिनकी विगत विभिन्न प्रदर्शो के माध्यम से इस प्रतिवेदन में आगे दी गई है दिनांक 05.09.2009 को समाप्त हुई। 04 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने के पश्चात् विश्वा इन्फ्रा. एंड सर्विसेस प्रा.लिमि. हैदराबाद एवं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमि. कलकत्ता के ज्वाइंट वेन्चर "विश्वा इन्फ्रा. एंड सर्विसेस प्रा लिमि. (जेवी) के पक्ष में कार्यादेश जारी हुआ ।

निविदा की शर्तो के अनुसार निविदाकर्ता को कार्य संपन्न कर अगले 23 वर्षो तक योजना का संचालन एवं संधारण करना है । निर्माण कार्य अभी भी जारी है अर्थात लगभग 18 माह से भी अधिक की देरी योजना के लागू करने में हो चुकी है । इसी बीच नगर पालिका निगम द्वारा वाटर मीटरिंग एवं कनेक्शन रेग्यूलराइजेशन नियम 2012 के अंतर्गत इस योजना की अधिूसचना दिनांक 03.01.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर खंडवा की जनता से दावें एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई जिस हेतु 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था ।

योजना के स्वरूप विशेष रूप से पीपीपी मोड, निजीकरण एवं पाईप मटेरियल को चुनने की स्वतंत्रता एवं अनुबंध की वैधता को लेकर नगर की जनता ने निर्धारित 30 दिन की अवधि में लगभग 10 हजार से भी अधिक आपत्तियां दर्ज करवाई। प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु कलेक्टर जिला खंडवा के आदेश क्र. 316/जि.श.वि./2013 खंडवा दिनांक 20.03.2013 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा श्री तरूण कुमार पिथोड़े अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित की गई जिसके शेष अन्य 06 सदस्य निम्नानुसार है :–

01. श्री बी.एस. बारस्कर, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
02. श्री ए.पी. साकल्ले, प्राचार्य शास. पॉली.महा. खंडवा
03 श्री ताराचंद अग्रवाल, पूर्व महापौर, खंडवा
04. श्री भारत झंवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खंडवा
05. श्री रियाज हुसैन, खंडवा
06. श्री तरूण कुमार जैन, आर्किटेक्ट, खंडवा

श्रीमान् कलेक्टर जिला खंडवा द्वारा पुनः एक संशोधित आदेश क्र. 335/जि.श.वि.अभि./2013 दिनांक 23.03.2013 जारी कर समिति सदस्यों को सूचित किया कि स्वतंत्र सनिति नर्मदा जल प्रदाय योजना हेतु जारी अधिसूचना के संबंध में दावें एवं आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया स्वतः तय कर सकेगी ।

श्री तरूण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25 मार्च 2013 को जिला पंचायत कार्यालय खंडवा में आहूत की गई थी । इसके पश्चात् विभिन्न दिनांकों पर समिति की बैठके आयोजित हुई । इन बैठकों में

सूचना का अधिकार

स्वतंत्र समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के संबंध में नगर निगम खंडवा के आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से विभिन्न जानकारियां एकत्रित की एवं इसके पश्चात् समिति द्वारा विश्वा युटीलिटीज प्रा. लिमि. के वाइस प्रेसीडेंट श्री पी.के. सिन्हा एवं श्री प्रवीण कुमार से भी चर्चा की गई ।

समिति सदस्यों द्वारा विभिन्न दावें एवं आपत्तियों की श्रेणीवार बनाकर समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर दो अलग–अलग तिथियों पर आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया ।

समिति को नगर निगम खंडवा, विश्वा कंपनी एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा समय–समय पर जो दस्तावेज उपलब्ध कराये गये उनका अवलोकन करने एवं आपत्तिकर्ताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात् जो जानकारी समिति इकट्ठा कर पाई एवं जिनके आधार पर समिति के सदस्यों ने अपने अभिमत इस प्रतिवेदन में व्यक्त किये है उन्हें सुलभ संदर्भ हेतु प्रदर्श के रूप में प्रतिवेदन में समाहित किया गया है ।

समिति द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन को 05 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है :–

01. योजना की डीपीआर एवं निविदा प्रपत्र बनाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया एवं उस बावत् नगर निगम खंडवा एवं म.प्र. शासन के बीच हुए विभिन्न पत्राचार ।

02. नगर निगम द्वारा डीपीआर बनाये जाने की कार्यशैली में हुई अनियमितता :

03. नगर निगम द्वारा टेण्डर प्रक्रिया एवं अनुबंध करने में की गई अनियमितता ।

04. योजना के क्रियान्वयन एवं नगर पालिका निगम द्वारा इस योजना को लागू करने हेतु जारी अधिसूचना के संबंध में जनता से नगर निगम खंडवा को प्राप्त प्रमुख शिकायत एवं आपत्तियां एवं विभिन्न शिकायतों एवं आपत्तियों के संबंध में नगर निगम खंडवा एवं विश्वा कंपनी द्वारा स्वतंत्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत स्पष्टीकरण ।

05. विभिन्न शिकायतों एवं आपत्तियों के संबंध में नगर निगम खंडवा एवं विश्वा कंपनी के स्पष्टीकरण एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर स्वतंत्र समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उनके अभिमत एवं सुझाव ।

"सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रदत्त सत्य प्रति"

अध्याय – 01

डीपीआर एवं निविदा प्रपत्र हेतु नगर निगम खंडवा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

पृष्ठ क्र. 04 से 07

अधिनियम 2005 के

योजना की डीपीआर एवं निविदा प्रपत्र बनाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया एवं उस बाबत् नगर निगम खंडवा एवं म.प्र. शासन के बीच हुए विभिन्न पत्राचार का तिथिवार ब्यौरा :

01. नगर पालिक निगम खंडवा मेयर इन काउंसिल द्वारा दिनांक 02.07.2006 को नर्मदा जल खण्डवा लाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया एवं प्रस्तावित योजना रूपये 96.73 करोड़ के व्यय की परिषद् से स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी । उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात् संशोधित कार्य योजना 136.76 करोड़ रूपये की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिषद् में रखा गया एवं परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई । **(संलग्न प्रदर्श–1,2)**

02. परिषद् की स्वीकृति के पश्चात् जल आवर्धन हेतु **UIDSSMT** में तथा एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती योजना की **DPR** बनाने हेतु आयुक्त द्वारा दिनांक 05.10.2006 को अल्पकालिक भाव पत्र (तृतीय) आमंत्रण सूचना दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित करने हेतु अपने पत्र क्रमांक लोनि/06/521 खंडवा, दिनांक 05.10.2006 द्वारा भेजी जो कि दिनांक 12.10.2006 को प्रकाशित हुई । **DPR** प्राप्त करने के पश्चात् जल आवर्धन येजना की **DPR** भारत शासन को भेजी गयी । **DPR** मेहता कंपनी इंदौर द्वारा बनायी गई । मेहता कन्सलटेन्ट को योजना की लागत राशि का 1.5 प्रतिशत एवं सर्विस टेक्स की राशि दिये जाने का प्रस्ताव साधारण सभा में दिनांक 08.03.2008 को पारित किया गया जिस पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा विरोध दर्ज कराया गया । **(संलग्न प्रदर्श–3)**

03. भारत सरकार शहरी मंत्रालय द्वारा **UIDSSMT** योजना के अंतर्गत दिनांक 26.03.2008 को खंडवा के लिए जल आवर्धन योजना की स्वीकृति दी गयी । योजना स्वीकृत राशि रूपये 106.72 करोड़ जिसके अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन, 10 प्रतिशत राशि राज्य शासन तथा 10 प्रतिशत राशि नगर निगम को वहन करना थी । **(संलग्न प्रदर्श–4,5)**

04. दिनांक 31.08.2008 को साधारण सभा में नगर निगम द्वारा 10 प्रतिशत राशि मिलाने की असमर्थता व्यक्त की गई एवं जल आवर्धन का कार्य जन निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसे परिषद् द्वारा मान्य किया एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 10 प्रतिशत अंश राशि जमा कराने से छूट दी गई । अधीक्षण यंत्री नगरीय विकास द्वारा जन निजी भागीदारी समिति से कराये जाने की सहमति प्रदान की । **(संलग्न प्रदर्श–4,6)**

05. दिनांक 02.04.2008 को कलेक्टर महोदय खंडवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहुत की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य के लिए टेण्डर बुलाये जावे एवं इसके संचालन/संधारण अवधि 25 वर्ष रखी जावे, निर्माण कार्य पूर्ण करने की

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

अवधि 18 माह रखी जाये एवं योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य इन्टकवेल, ओव्हरहेड टेंक का निर्माण, सम्पूर्ण पाईप लाइन तथा मीटरिंग का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जावेगा । कार्योपरांत ओव्हरहेड टेंकों में पानी भरने कार्य ठेकेदार द्वारा किया जावेगा । नगर में जल वितरण हेतु पाईप लाइनों का संधारण ठेकेदार द्वारा किया जोवगा किन्तु जल वितरण का संचालन एवं जल कर की वसूली का कार्य नगर निगम खंडवा द्वारा ही किया जायेगा । **(संलग्न प्रदर्श–7)**

06. आयुक्त, नगर निगम द्वारा दिनांक 07.04.2008 को टेण्डर हेतु विज्ञप्ति जारी की गई । दिनांक 11.04.2008 को टेण्डर विज्ञप्ति का प्रथम संशोधन जारी किया गया एवं दिनांक 16.04.2008 को टेण्डर विज्ञप्ति का द्वितीय संशोधन जारी किया गया । (निविदा प्रपत्र क्रय की दिनांक बढ़ाई गई) दिनांक 01.05.2008 को टेण्डर विज्ञप्ति का तृतीय संशोधन जारी करते हुए टेण्डर को आगामी तिथि तक रोक दिया गया एवं दोबारा टेण्डर जारी करने के लिए सूचना दी गई । **(संलग्न प्रदर्श–8,9,10)**

07. दिनांक 03.05.2008 को मेयर इन काउंसिल की बैठक में योजना के स्वरूप को बदलकर बल्क वॉटर सप्लाय एवं बल्क वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन एवं टेक्स कलेक्शन के दो अलग–अलग प्राइस ऑफर बुलाने के निर्णय को स्वीकृति दी गई । दिनांक 23.05.2008 को आयुक्त द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति की अनुमति से टेण्डर विज्ञप्ति जारी अमेण्डमेंट 3 (रिवाइस्ड टेंडर) की गई जिसमें 26.05.2008 से 07.06.2008 तक टेण्डर विक्रय की विज्ञप्ति जारी की गई, टेण्डर में निम्नानुसार मुख्य शर्तें भी दी गई :–

(1) बिडर की प्रजेन्ट नेटवर्क 35 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए ।

(2) बिडर द्वारा विगत 05 वर्षो में समान प्रकार के कार्य से 50 करोड़ की आय प्राप्त की गई हो या दो प्रोजेक्ट से 25–25 करोड़ की आय प्राप्त की गई हो ।

(3) निविदा की वैद्यता 180 दिन रखी गई । रिवाइस्ड टेण्डर की प्रति उपलब्ध है । **(संलग्न प्रदर्श–11,12,13)**

08. दिनांक 27.05.2008 से 07.06.2008 तक 19 कंपनियों द्वारा टेण्डर फार्म क्रय किये गये । दिनांक 16.06.2008 को नगर निगम में प्री–बिड मीटिंग रखी गयी जिसमें 12 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया एवं अपने–अपने सुझाव, तर्क/शर्ते रखी गई । **(संलग्न प्रदर्श–14)**

09. प्री–बिड मीटिंग के पश्चात् आयुक्त, नगर निगम द्वारा एक अमेण्डमेंट जारी किया गया है किन्तु उसे सार्वजनिक रूप से पब्लिश नहीं किया गया । अमेण्डमेंट जारी करने की दिनांक का उल्लेख नहीं है । अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन द्वारा दिनांक 13.08.2008 को निविदा प्रपत्र में

संशोधन करने की अनुमति दी गई जिस पर आयुक्त नगर निगम ने नगर पालिक निगम की साधारण सभा (पार्षदगणों की परिषद) की बिना स्वीकृति के दिनांक 14.08.2008 को अमेण्डमेंट जारी किया गया किन्तु इसे भी जाहिर सूचना के रूप में पब्लिश नहीं किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 09.09.2008 को आयुक्त नगर निगम द्वारा बिना साधारण सभा की स्वीकृति लिए टेण्डर जमा करने की तिथि में वृद्धि की एवं इसकी भी कोई जाहिर सूचना प्रकाशित की । इसके बाद नगर निगम की एमआईसी की बैठक में दिनांक 16.09.2008 में उक्त कार्य को स्वीकृति दी गई । **(संलग्न प्रदर्श–15/1, 15/2, 16,17)**

10. दिनांक 17.10.2008 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ द्वारा आयुक्त नगर निगम को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा नगर निगम खंडवा द्वारा तैयार किये गये निविदा प्रपत्र को समुचित नहीं पाया गया तथा इन्हें पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया । इसके पश्चात् दिनांक 12.01.2009 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक हुई जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि निविदा आमंत्रण / निविदा प्रपत्र के बिक्री हो जाने के पश्चात् निविदा के स्वरूप या शर्तो में किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार किसी भी अधिकारी/प्राधिकारी को नहीं होता है । प्री–बिड में केवल निविदाकारों की शंकाओं का निराकरण / समाधान किया जाता है । अतः या तो इन निविदाओं को निरस्त करते हुए नये सिरे से निविदाएं बुलाई जाये अथवा प्राप्त निविदाओं को खोलकर इनका मूल्यांकन किये जाने के बाद अगला निर्णय लिया जावे । साथ ही बैठक में निर्णय हुआ कि प्राप्त निविदाओं को खोलकर उनका मूल्यांकन कर निर्णय लिया जावे एवं राज्य तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । **(संलग्न प्रदर्श–18,19)**

11. दिनांक 16.01.2009 को भोपाल में पुनः एक बैठक मुख्य अभियंता द्वारा आहुत की गई जिसमें आयुक्त नगर निगम भी उपस्थित थे । बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान बाजार दर एवं सितम्बर 2008 की दरों में अंतर है अतः पुनरीक्षित दर एवं तकनीकी विवरण लिया जावे । इस तारतम्य में दिनांक 16.01.2009 को ही आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा पुनरीक्षित दरों का एक पत्र खंडवा नगर पालिक निगम से जारी किया गया एवं उसी दिन याने 16.01.2009 को ही चारों फर्म के प्रतिनिधियों को सायं 5.15 को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया गया । **(संलग्न प्रदर्श–20,21)**

12. दिनांक 03.02.2009 को चारों फर्मों द्वारा बिड सौंपी गई और दिनांक 03.02.2009 को ही उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष तकनीकी परीक्षण हेतु भेज दिया गया । समिति द्वारा दिनांक 07.02.2009 को पत्र भेजा गया जिसे तकनीकी रूप से उचित पाया गया । दिनांक 10.02.2009 को टेण्डर खोले गये एवं दिनांक 12.02.2009 को राज्य स्तरीय तकनीकी

समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये । तकनीकी समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । इसके पश्चात् दिनांक 16.02.2009 को एमआईसी खंडवा के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई । इस आधार पर दिनांक 27.02.2009 को लेटर ऑफ इन्टेंट विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि. को जारी किया गया । **(संलग्न प्रदर्श–22)**

13. दिनांक 17.03.2009 को मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा नगर पालिक निगम नियम 1956 के अंतर्गत बने नियम मेयर इन काउंसिल 1998 के नियम 5(1) के अनुसार **UIDSSMT** योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद् की समस्त **वित्तीय शक्तियां** मेयर इन काउंसिल में व्यष्ठित होगी। **(संलग्न प्रदर्श–23)**

14. म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के कार्यपालक संचालक द्वारा दिनांक 13.09.2009 को अपनी टीप में दिया है कि नगर निगम द्वारा साधिकार समिति के निर्णय अनुरूप कार्य नहीं किया है, परन्तु यह प्रतीत होता है कि निविदा प्रक्रिया पूर्व से ही प्रारंभ होने के कारण एवं व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण ऐसा किया है । इस स्तर पर टेण्डर निरस्त करने से नगर निगम एवं खंडवा के रहवासियों को तकलीफ होगी , अतः नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही को राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना उचित होगा । कार्यपालक संचालक की इस टीप पर प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण द्वारा लिखा गया कि टीप के प्रकाश में कृपया पूर्व में बुलाई गई निविदाओं / मानक के अनुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है । राज्य स्तरीय साधिकार समिति की अगली बैठक में इसकी कार्योत्तर स्वीकृति ले ली जावेगी जिसे मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया । (संलग्न प्रदर्श–24)

15. मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.03.2009 के द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा को लिखा गया कि आपके द्वारा चाही गई स्वीकृति को मुख्य सचिव द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । **(संलग्न प्रदर्श–23/2)**

16. तत्पश्चात नगर निगम खंडवा द्वारा मेयर इन काउंसिल की बैठक में दिनांक 03.09.2009 को अपने प्रस्ताव क्र. 01 के तहत विश्वा इन्फ्रा. एंड सर्विसेस प्रा.लिमि. हैदराबाद द्वारा आंध्रा बैंक की गारंटी परफारमेंस सिक्युरिटी, विश्वा युटीलिटी प्रा.लिमि. हैदराबाद (एसपीवी) का एमओए के प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर स्वीकृति दी गई । आयुक्त नगर निगम द्वारा दिनांक 03.09.2009 को ही विश्वा युटीलिटी प्रा.लिमि. एवं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमि. से कन्सेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया ।

अध्याय – 02

डीपीआर बनाये जाने में हुई अनियमिता

पृष्ठ क्र. 08 से 09

नगर निगम द्वारा डीपीआर बनाये जाने की कार्यशैली में हुई अनियमितता :

01. नगर निगम खंडवा से योजना के प्रारंभ में ही अनियमितता हुई है । दिनांक 25.01.2006 को यूआईडीएसएसएमटी परियोजना अर्थात नर्मदा जल योजना के विकास कार्यो की योजना तैयार करने हेतु (डीपीआर) मात्र एक समाचार पत्र में अल्पकालिक भाव पत्र आमंत्रित किया गया यूआईडीएसएसएमटी के नियमानुसार 1.5 प्रतिशत राशि की दर से इसकी कन्सलटेंसी फीस करीब 1.60 करोड़ होना था क्योंकि परियोजना की लागत अनुमानित तौर पर करीब 106 करोड़ थी । म.प्र. भण्डार क्रय नियम में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ऐसी परियोजना या कार्य जो कि राशि रू. 50 लाख से अधिक हो उसके लिए दो स्थानीय समाचार पत्र (एक हिन्दी/अंग्रेजी) के अलावा प्रदेश स्तर के एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं रोजगार एवं निर्माण प्रकाशन के अतिरिक्त देश व्यापी दो समाचार पत्र तथा इंडियन ट्रेड जनरल में प्रकाशन अनिवार्य होगा, इस नियम का पालन नहीं किया गया साथ ही समय सीमा का पालन भी नहीं किया गया । मात्र 12 दिन का समय दिया गया । **(सलंग्न सहपत्र 25,26,27)**

02. अल्पकालिक भाव पत्र सूचना प्रकाशन के पश्चात् चार भाव पत्र प्राप्त हुए जिनमें तीन इंदौर की फर्म एवं एंक भोपाल की फर्म से भाव पत्र प्राप्त हुए । जिसमें न्यूनतम भाव 0.75 प्रतिशत की श्री शरद जैन इंदौर से वास्तुविस्तारा के नाम से दी गई जिसे एम.आई.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया । अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करने हेतु अनुबंध निष्पादित करने के लिए फर्म को आमंत्रित किया गया लेकिन निश्चित दिनांक तक फर्म के प्रतिनिधि अनुबंध हेतु उपस्थित नहीं हुए । अतः दिनांक 24.07.2006 को भाव पत्र निरस्त कर पुनः भाव पत्र आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया । (सलंग्न सहपत्र 28,29,30)

03. निर्णय के दो माह पश्चात् 20.09.2006 को पुनः एक अल्पकालिक भाव पत्र सूचना 10 दिन का समय देकर 30.09.2006 तक आमंत्रित की गई जिसमें अर्नेस्ट मनी की राशि रूपये 10000/– रखी गई । अंतिम तिथि तक तीन भाव पत्र प्राप्त हुए , तीनों ही भाव पत्र देने वाली फर्मे इंदौर की थी जिसमें पुनः श्री शरद जैन इंदौर द्वारा अवनि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम से भाव पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यूनतम दर योजना की लागत की 1.5 प्रतिशत दर्शाई गई थी । दिनांक 05.10.2006 को एमआईसी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री शरद जैन द्वारा पूर्व में 0.75 प्रतिशत भाव दिया गया था अब 1.5 प्रतिशत का भाव दिया गया है । यह दर अधिक है अतः पुनः भाव पत्र आमंत्रित किये जावे । **(सलंग्न सहपत्र 31,32,33)**

"सूचना का अधिकार

04. दिनांक 05.10.2006 को पुनः अल्पकालिक भाव पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें 17.10.2006 तक भाव पत्र आमंत्रित किये गये । भाव पत्र सूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 12.10.2006 को प्रकाशित हुई कुल 06 दिवस के अल्प समय में भाव पत्र आमंत्रित किये गये । तृतीय भाव पत्र

14/6

सूचना की अंतिम तिथि तक तीन फर्मो से भाव पत्र प्राप्त हुए जिसमें मेहता कन्सलटेंट इंदौर की दर (परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत एवं सर्विस टेक्स अतिरिक्त) न्यूनतम थी। एमआईसी की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 23.10.2006 को मेहता कन्सलटेंट इंदौर से डीपीआर बनाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं मेहता कन्सलटेंट इंदौर से नगर निगम खंडवा द्वारा अनुबंध किया गया । **(सलंग्न सहपत्र 34,35,36,38)**

यहां यह उल्लेखनीय है उक्त भाव पत्र आमंत्रित कर डीपीआर बनाने हेतु अनुबंध निष्पादित करने में करीब 09 माह समय लगा । इतने समय में भंडार क्रय नियमों के अनुरूप विधिवत् रूप से प्रदेश एवं देश व्यापी समाचार पत्रों में भाव पत्र आमंत्रित कर निविदाएं आमंत्रित की जा सकती थी ।

तीनों अल्पकालिक भाव पत्र प्रकाशन सूचनाओं में यूआईडी एसएसएमटी योजना का उल्लेख किया गया लेकिन कहीं भी जल प्रदाय संवर्द्धन योजना का उल्लेख नहीं किया गया जिसके कारण भाव पत्रों में जिन–जिन फर्मो द्वारा भाव पत्र दिये गये है उन्हें जल प्रदाय संवर्द्धन योजना की डीपीआर बनाने का अनुभव नहीं था । जबकि भाव पत्र सूचना प्रकाशन में संबंधित कार्य का 10 वर्षो का कार्यानुभव मांगा गया था । इसी प्रकार की योजना नगर निगम रतलाम के लिए स्वीकृत हुई है जिसमें उनके द्वारा निविदा प्रकाशन सूचना में जल प्रदाय योजना हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए दर आमंत्रित की गई । **(सलंग्न सहपत्र 39)**

डीपीआर बनाने हेतु जारी टेण्डर में निविदाकर्ता से तकनीकी सलाह शुल्क जो कि यूआईडीएसएसएमटी द्वारा स्वीकृत योजना (लागत रू. 106 करोड़) का 1.5 प्रतिशत याने करीब 1.60 करोड़ होता है इस आधार पर टेण्डर हेतु इसकी ईएमडी 2 प्रतिशत याने रू. 3 लाख 20 हजार सभी निविदाकर्ताओं से जमा करानी थी जो कि नगर निगम द्वारा केवल रू. 10 हजार ही जमा कराई गई ।

यूआईडीएसएसएमटी योजना के बिन्दु क्र. 03 (1) पर यह स्पष्ट निर्देश है कि शासन द्वारा स्वीकृत योजना की मूल लागत का 1.5 प्रतिशत डीपीआर बनाने तैयार पर देय होगा । यह जानकारी नगर निगम खंडवा को डीपीआर बनवाने के भाव पत्र आमंत्रित करने के पूर्व से ही थी इसके बावजूद नगर निगम द्वारा तीन बार भाव पत्र आमंत्रित कर अंत में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर स्वीकृत कर डीपीआर तैयार कराई गई है यह एक वित्तीय अनियमितता है । **(सलंग्न सहपत्र 40)**

जल प्रदाय योजना हेतु डीपीआर तैयार कराने हेतु प्रदेश/ देश व्यापी समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रचार प्रसार करके जल प्रदाय योजना से संबंधित कार्यानुभव रखने वाले अनुभवी/नामी कंसलटेंटों को आमंत्रित किया जाकर डीपीआर तैयार कराई जाना थी ।

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि"

14/6

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खंडवा

नगर निगम द्वारा टेण्डर प्रक्रिया एवं अनुबंध में की गई अनियमितता :

01. मेहता कन्सलटेंट इंदौर द्वारा तैयार की गई डीपीआर को नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया । नर्मदा जल को खंडवा लाने हेतु मेयर इन काउंसिल के प्रस्ताव दिनांक 02.07.2007 में संशोधन करते हुए कुल राशि 136.76 करोड़ की योजना को सर्वानुमति से स्वीकृति दी गई । दिनांक 17.09.2007 को राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक में खंडवा शहर हेतु जल प्रदाय संवर्द्धन योजना हेतु राशि रू. 106.72 करोड़ की स्वीकृति दी जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्र शासन, 10 प्रतिशत राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि नगर निकाय को दिया जाना था । इस आशय का एमओयू नगर निगम खंडवा द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन से किया गया । दिनांक 31.03.2008 को निगम की परिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि नगर निगम अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि वहन करने की स्थिति में नहीं होने के कारण योजना को पीपीपी मोड में करने की स्वीकृति परिषद् द्वारा प्रदान की गई । दिनांक 07.04.2008 को बीओटी आधार पर प्रथम सूचना जारी कर यूआईडीएसएसएमटी योजना के अंतर्गत जल संवर्द्धन योजना हेतु (नर्मदा जल) निविदाएं आमंत्रित की गई । दिनांक 01.05.2008 को समाचार पत्र में सूचना देकर निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक रोक दिया गया ।

कार्य योजना में परिवर्तन किया जाकर जारी निविदाओं को दो भागों में बांट दिया गया । प्राईस ऑफर 1 में योजना बनाकर ओव्हरहेड टेंकों में जल भरने तक तथा प्राइस ऑफर 2 में कन्जूमर एंड तक जल पहुंचाने के निविदा प्रपत्र तैयार कराये । यह कार्य आयुक्त नगर निगम द्वारा किया गया जिसे संचालक नगरीय प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया एवं दिनांक 03.05.2008 की मेयर इन काउंसिल में स्वीकृत किया गया । **(संलग्न सहपत्र–11)**

यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए योजना के स्वरूप को बदलकर उसे साधारण सभा (परिषद) से बगैर अनुमोदित कराये पारित कर दिया गया तथा नगर निगम का कथन है कि म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 09.04.2008 द्वारा मेयर इन काउंसिल को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया गया था । वास्तविकता यह है कि उक्त राजपत्र के द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजना के क्रियान्वयन के लिए राजपत्र के माध्यम से शासन ने मेयर इन काउंसिल को कार्य के सुचारू रूप से संपादन हेतु **मात्र वित्तीय शक्तियां प्रदान** की गई थी । म.प्र. नगर पालिक निगम 1956 की धारा 291 की शक्तियां नहीं दी थी । धारा 291 के अंतर्गत नगर निकाय द्वारा जब भी किसी योजना को बनाया जावेगा या स्वरूप परिवर्तन किया जायेगा उसे साधारण सभा (परिषद) के समक्ष प्रस्तुत कर आयुक्त 30 दिवस की अवधि में सार्वजनिक करेगा । इस तरह से आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा यह प्रक्रिया न अपनाकर नियमों का उल्लंघन करते हुए अनियमितता की है । (संलग्न सहपत्र–23/1, 23/2)

दिनांक 23.05.2008 को पुनः बीओटी के आधार पर अडेण्डम नं. 03 के रूप में रिवाइस निविदा सूचना जारी की गई । निविदा प्रकाशन सूचना के पश्चात् 19 फर्मो द्वारा टेण्डर फार्म नगर निगम खंडवा से लिये गये । निविदा सूचना में प्री–बिड मीटिंग की तिथि 16.06.2008 रखी गयी थी । प्री–बिड मीटिंग में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा निविदाकर्ताओं से तकनीकी एवं पाईप मटेरियल के विषय में चर्चा की गई एवं संशोधन पर राय चाही गई । (संलग्न सहपत्र–13)

प्री–बिड मीटिंग के पश्चात् आयुक्त नगर निगम द्वारा निविदा प्रपत्र में विभिन्न तकनीकी स्पेसिफिकेशन, शर्ते, समयावधि एवं पाईप मटेरियल इत्यादि में काफी फेरबदल कर अडेण्डम नं. 04 के रूप में मेयर इन काउंसिल के समक्ष रखा गया । अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या इस भारी फेरबदल हेतु आयुक्त नगर निगम खंडवा ने योजना के तकनीकी सलाहकार मेहता कन्सलटेंट से कोई एस्टीमेट या शर्ते संशोधित कराई थी या नहीं क्योंकि यहां यह संशोधन तकनीकी सलाहकार के द्वारा तैयार करना नितांत आवश्यक था । ऐसा न करने की स्थिति में योजना की मूल लागत में निश्चित रूप से कमी आनी चाहिए थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा उक्त अडेण्डम नं. 04 को बगैर तकनीकी सलाह के तैयार किया गया । तथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मेयर इन काउंसिल के द्वारा बगैर किसी तकनीकी जानकारी के अभाव में बिना विचार विमर्श किये योजना के स्वरूप और संशोधन को स्वीकृति दी गई । (संलग्न सहपत्र–15/1, 16 17)

इसके पश्चात् उक्त संशोधन पर म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ द्वारा अपने पत्र क्र. 2019/वीपीएस/08 दिनांक 17.10.2008 द्वारा आयुक्त को सूचित किया गया कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने आपके द्वारा तैयार किये गये निविदा प्रपत्रों को समुचित नहीं पाया गया है अतः पुनः निविदा आमंत्रण का निर्णय लिया गया है । तत्पश्चात् म.प्र. विकास प्राधिकारण संघ द्वारा पुनः पत्र क्र. 2354/वीपीएस/ दिनांक 06.12.2008 के द्वारा आयुक्त को सूचित किया गया कि योजनान्तर्गत स्वीकृति स्पेशिफिकेशन स्वीकृत योजना के अनुसार ही हो तथा आयुक्त ने उन्हें अवगत कराकर आश्वस्त किया कि निविदाकर्ताओं से प्राप्त तकनीकी ऑफर में सभी के द्वारा राइजिंगमेन डी.आई.के.–9 पाईप का उपयोग ही दर्शाया है तथा स्पेशिफिकेशन भी स्वीकृत योजनानुसार ही है । परन्तु प्रोजेक्ट डायेरक्टर द्वारा लिखा गया है कि यदि स्पेशिफिकेशन स्वीकृत योजना से भिन्न है तो उन्हें निरस्त करते हुए स्वीकृत स्पेशिफिकेशन पर ही प्राइस ऑफर लिया जाय । प्राइस ऑफर 01 निरस्त किया जावे । (संलग्न सहपत्र–41)

इस तारतम्य में निगम के कंसलटेंट मेहता एसोसिएट द्वारा अपने पत्र क्र. डब्ल्यूएसपी/खंडवा/001/08 दिनांक 24.12.2008 के द्वारा पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की भी सलाह दी गई । (संलग्न सहपत्र–42) लेकिन नगर निगम द्वारा इन सभी निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए आयुक्त नगर निगम द्वारा पाईप मटेरियल और निविदा के स्वरूप को बदलने

हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्ताव दिनांक 12.01.2009 को प्रस्तुत किया । **राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि एक बार निविदा प्राप्त हो जाने के पश्चात् योजना के स्वरूप/शर्तो में परिवर्तन का अधिकार किसी भी अधिकारी/साधिकारी को नहीं होता है । अतः प्राप्त निविदाओं को खोलकर मूल्यांकन किया जावे ।** परन्तु इसके बावजूद इस निर्देश पर बगैर ध्यान दिए आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा **दिनांक 16.01.2009** को भोपाल में उपस्थित होकर निविदा हेतु पाईप एवं अन्य मटेरियल के तत्कालिक घटे हुए प्राइस इण्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित दरों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था । तथा **उसी दिन दिनांक 16.01.2009** को ही आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त चार फर्मो को पुनः पुनरीक्षित दरे प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र दिया गया जिसकी अंतिम तिथि 03.02.2009 रखी गई । उपरोक्त अनेपक्षित त्वरित कार्य प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए निविदा प्रक्रिया में अडेण्डम 4 के अंतर्गत जितने भी संशोधन किये गये वे नियमों की अनदेखी करते हुए निविदाकर्ता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किये गये प्रतीत होते है।

सर्वप्रथम जो टेण्डर प्रकाशित किया गया था उसमें प्राइस ऑफर 1 एवं प्राइस ऑफर 2 दोनों थे । प्राइस ऑफर 1 के अंतर्गत कंशेसनायर को अधोसंरचना विकसित कर बल्क क्वांटिटी में पानी नगर निगम को देना था और प्राइस ऑफर 2 में कंशेसनायर को अधोसंरचना विकसित कर उपभोक्ता को जल वितरित करना था । बाद में अमेण्डमेंट 04 के द्वारा इसे निम्नानुसार संशोधित किया गयाः–

Bid Document : VOI-I – (Before addendum-4)

27. Bid Evaluation – 27.4 : Bidders' Price Offer will be taken into consideration for selecting a preferred bidder. KMC may as per the Feasibility chose any of the Two Price Offers as a Criteria for Preiffered Bidder.

Correction/Modification as per Vol.IV :

Above clause was amended as following :

The Price offer II of the Techanically qualified bidders shall be opened first by Commissioner KMC and evaluated. If KMC finds Lowest Bid of Price offer II financially feasible and acceptable, the Price offer I will not be opened and Technically qualified bidder who quotes Lowest Retail Water charges to be collected from Consumer per Kilo Liter for the base year (Price offer II) and who's offer is most advantageous to KMC shall be considered as "Preferred Bidder".

Bid Document : VOI-I – (Before addendum-4)

27. Bid Evaluation – 27.5 : A Technicall qualified bidder who quotes lowest Bulk water charges per Kilo liter for the base year (Price offer-I) or Lowest Retail Water charges to be collected from consumer per Kilo Liter for the base year (Price offer-II) and who's offer is most advantageous to KMC shall be accepted as preferred Bidder".

Correction/Modification as per Vol.IV :

Above clause was amended as following :

If KMC finds the Lowest Bid of Price Offer II financially not Feasible and un-acceptable by KMC the date of opening of Price offer-I shall be intimated to Technically qualified bidders separately.

Technically qualified bidder who quotes lowest Bulk water charges per kilo liter for the base year (Price Offier-I) and who's offer is most advantageous to KMC shall be considered as "Preferred Bidder".

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत"

14/6

अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

इस संशोधन में यह भी कहा गया कि बिडर को पाईप मटेरियल चुनने की स्वतंत्रता होगी । यह विसंगति कि विभिन्न बिडर अलग-अलग पाईप मटेरियल का उपयोग कर टेण्डर डाल सकेंगे एवं उनके द्वारा प्रति कि.ली. पानी की दर की तुलना के आधार पर न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा , एक अत्यंत ही त्रुटिपूर्ण निर्णय था । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस योजना की केपिटल कास्ट का 70 प्रतिशत सिर्फ पाईप में खर्च होना है एवं विभिन्न प्रकार के पाईप जो इस योजना में उपयोग किये जा सकते है उनकी दरों में बहुत बड़ा अंतर होता है । अतएव अलग-अलग पाईप मटेरियल के आधार पर दिये गये निविदा प्रपत्रों की आपस में तुलना करना न्यायोचित नहीं हो सकता । इस संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा अवगत कराने के उपरांत भी त्रुटि हुई है ।

अडेण्डम 4 को बाद में मेयर इन काउंसिल में पास करवाया गया जबकि इस अडेण्डम के माध्यम से जो योजना के मूल स्वरूप को ही बदला गया है उसे सर्व साधारण के लिए प्रकाशित कर परिषद् के द्वारा पारित कराया जाना चाहिए था ।

अधिकांश आपत्तियां जो कि जल के निजीकरण को लेकर है इसी संदर्भ में है कि विश्वा इन्फ्रा.कंपनी द्वारा बहुत थोड़ा अंशदान लगाकर आने वाले 23 वर्षो तक जनता से कर वसूला जायेगा । यदि आयुक्त यह निर्णय न लेकर "कि उपरोक्तानुसार प्राइस ऑफर 1 खोली ही नहीं जायेगी", बल्कि क्वांटिटी में नगर पालिक द्वारा कंशेसनायर से जल लेकर जल वितरण का कार्य नगर निगम के द्वारा किये जाने का विकल्प खुला रखते तो इन आपत्तियों की कोई गुंजाईश न रहती ।

(सी) अर्नेस्ट मनी डिपाजिट की राशि भी नियमानुसार नहीं ली गई है ।

(डी) नगर निगम द्वारा विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि. कंपनी को एलओआई तो जारी किया है किन्तु कार्यादेश विश्वा युटीलिटीज प्रा.लिमि. के नाम से जारी किया है । यहां यह बात ध्यान में लाना आवश्यक है कि विश्वा युटीलिटीज प्रा. लिमि. के प्रमोटर विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर के दो डायरेक्टर एवं स्वयं विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी है । इस विश्वा युटीलिटीज प्रा.लिमि. कंपनी को कंशेसनायर एग्रीमेंट में कंशेसनायर निरूपित किया गया है जबकि विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी को सफल बिडर कहा गया है । टेण्डर विश्वा इन्फ्रस्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रो स्टील के ज्वाइंट वेन्चर को हुआ है किन्तु बाद में कंशेसन एग्रीमेंट एवं कार्यादेश विश्वा युटीलिटीज प्रा.लिमि. (एसपीवी) के नाम से जारी करना नियम विरूद्ध है । नगर निगम को भुगतान हेतु प्रस्तुत सभी बिल विश्वा युटीलिटीज प्रा. लिमि. के नाम से है एवं एस्क्रो एकाउंट भी विश्वा युटीलिटीज के नाम से खोला जाकर नगर निगम खंडवा द्वारा समस्त भुगतान इसी अकाउंट में किये जा रहे है । यहां यह बात ध्यान में लाना आवयश्क है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है एवं वह दूसरी कंपनी से भिन्न होती है । अतएव यह विषय गहन जांच का होना चाहिए कि कैसे विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्वाइंट वेन्चर के नाम टेण्डर होने के पश्चात् एस्क्रो एकाउंट विश्वा युटिलिटीज के नाम से खोलने की अनुमति दी गई ।

परियोजना अधिकारी
जि.पं. खण्डवा

दिनांक 06.12.2012 को नगर निगम खंडवा, विश्वा युटीलिटीज प्रा. लिमि. एवं इंटरनेशनल फायनेंस कार्पो. के बीच एक त्रिपक्षीय सब्सटीट्यूशन एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत विश्वा युटीलिटीज प्रा.लिमि. के द्वारा इंटरनेशनल फायनेंस कार्पो. के ऋण को न चुकाने की स्थिति में आईएफसी को कंशेसनायर बदलने का अधिकार प्राप्त हुआ है । यहां पुनः यह बात ध्यान में लाने योग्य है कि नगर निगम खंडवा का मूल अनुबंध विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रो स्टील के ज्वाइंट वेंचर से हुआ है किन्तु इस त्रिपक्षीय अनुबंध में ज्वाइंट वेंचर के दोनो ही सदस्य नहीं है ।

ज्वाइंट वेंचर टेण्डर के अंतर्गत किसी भी सदस्य को 25 प्रतिशत का अंशदान लगाना अनिवार्य था किन्तु इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमि. कलकत्ता द्वारा मात्र 11 प्रतिशत अंशदान लगाकर इस ज्वाइंट वेंचर में प्रवेश किया है एवं अब कंशेसनायर एग्रीमेंट के माध्यम से विश्वा युटीलिटीज प्रा. लिमि. को कंशेसनायर बनाकर ऐसा प्रतीत होता है स्वयं को इस अनुबंध से दूर किया है ।

नगर निगम खंडवा द्वारा कहा गया कि नर्मदा जल की लागत निविदाकर्ता द्वारा वहन की जायेगी यह अस्पष्ट है चूंकि एनवीडीए के साथ हुए अनुबंध के अनुसार जल की लागत भी नगर निगम खंडवा ही वहन करेगी । जबकि अनुबंध के अनुसार कंपनी को कच्चे जल का व्यय वहन करना है, यहां पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। (संलग्न सहपत्र–43)

नगर निगम द्वारा विश्वा कंपनी से किया गया अनुबंध जिसमें 25 वर्षो तक जल प्रदाय कर इसका शुल्क वसूलने की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित है मात्र 100/– के स्टाम्प पेपर (आंध्रपदेश शासन) पर संपादित किया गया यह अनुबंध कहीं भी पंजीकृत नहीं कराया गया है । गैर पंजीकृत अनुबंध होने से कंशेसनायर द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य संपादित नहीं करने की स्थिति में नगर निगम उस पर किसी भी तरह की वैधानिक कार्यवाही करने में असमर्थ रहेगा ।

शासन द्वारा यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत जल प्रदाय संवर्द्धन योजना (नर्मदा जल) खंडवा के लिए लागू किये जाने के पश्चात् से नगर निगम खंडवा द्वारा योजना के क्रियान्वयन में की जा रही अनियमितताओं एवं देरी के संबंध में कई समाचार पत्रों द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता रहा है एवं इसी प्रकार की सूचना नगर निगम खंडवा को जनप्रतिनिधियों/गणमान्य नागरिकों द्वारा भी की गई थी । जिसके फलस्वरूप केन्द्र शासन द्वारा दो बार जांच दल भी भेजा गया जिसमें से दूसरे जांच दल की रिपोर्ट अभी शासन स्तर पर लंबित है ।

प्रस्तावित योजना का डीपीआर बनवाने हेतु नगर निगम द्वारा प्रकाशित प्राइस ऑफर एवं उसमें उल्लेखित शर्तो में शासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है । इस बाबत् समिति का निष्कर्ष यह है कि तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति युआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत मापदंड के आधार पर 1.5 प्रतिशत फीस हेतु टेण्डर जारी कर प्रदेश एवं देश के शीर्ष समाचार पत्रों में अन्य मान्यता प्राप्त मीडिया से प्रसारित किया जाना था तथा इसमें विभिन्न प्रदेश/देश की नामी तकनीकी सलाहकार कंपनीयों जिन्हें की जल आवर्धन का दीर्घकालिक अच्छा

अनुभव हो, को आमंत्रित कर कार्ययोजना तैयार करानी थी साथ ही योजना क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय संसाधनों का ध्यान रखते हुए जो भी मटेरियल संबंधित संशोधन किये गये है उनका तकनीकी विश्लेषण सलाहकार से किया जाना था । इसी तरह जल आवर्धन योजना को संपादित करने की टेण्डर प्रक्रिया में भी संशोधन करने हेतु तकनीकी सलाहकार के अनुभव का उपयोग करते हुए पाईप सामग्री बदलने तथा इससे अनुमानित लागत में होने वाले परिवर्तन का विस्तृत आंकलन किया जाना था । इसके पश्चात् ही टेण्डर प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करना था ताकि उक्त कार्य योजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सकती थी तथा इन अनियमितताओं एवं विलंब से उत्पन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों को निश्चित रूप से टाला जा सकता था ।

इसी के साथ खंडवा की आम जनता जल संघर्ष समिति एवं विशिष्ट व्यक्तियों, कानून सलाहकारों की आपत्तियों एवं दावें नगर निगम द्वारा विश्वा कंपनी से हुए अनुबंध को निरस्त करने के संबंध में प्राप्त हुए है । इस संदर्भ में समिति ने नगर निगम, विश्वा कंपनी एवं आम जनता के लिखित एवं मौखिक रूप से पक्ष सुनने एवं विभिन्न दस्तावेजों, साक्ष्य एवं तर्क सुनने एवं समझने के पश्चात् योजना के विभिन्न पहलुओं, टेण्डर प्रक्रिया की शर्तो एवं नियमों की जानकारी एवं विभिन्न परिस्थितियों की वजह से टेण्डर में शर्तो का बार-बार संशोधन तथा मूल टेण्डर को रोक कर संशोधित अण्डेडम 04 के माध्यम से परिवर्तित द्विस्तरीय टेण्डर प्रक्रिया का अध्ययन किया तथा इसके विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् समस्त टेण्डर प्रक्रिया में कई त्रुटियां एवं अनियमितताएं की जाना पाई है जिसका बिन्दुवार उल्लेख निम्नानुसार किया है :–

01. सर्वप्रथम कार्य योजना का टेण्डर फार्म विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि. द्वारा खरीदा गया था तथा इसे अन्य निविदा कंपनीयों के साथ निर्धारित दिनांक को जमा कर दिया गया तथा इस टेण्डर हेतु समस्त निविदाकर्ता कंपनीयों द्वारा न्यूनतम तकनीकी एवं वित्तीय अर्हताओं एवं कार्यानुभव की योग्यता का पालन करना वांछित था । इस टेण्डर प्रक्रिया में न्यूनतम जल दरों के आधार पर विश्वा कंपनी को कार्यादेश प्राप्त हुआ परन्तु इस कार्य के अनुबंध हेतु नगर निगम में विश्वा युटीलिटी को कंशेसनायर के रूप में निरूपित कर एग्रीमेंट संपादित किया जो कि न्यायसंगत नहीं लगता है तथा इससे टेण्डर प्रक्रिया का कानूनी रूप से स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है ।

02. इस टेण्डर प्रक्रिया में अनुमोदित विश्वा कंपनी की टेण्डर खोलने की दिनांक तक वित्तीय क्षमता अपेक्षित रू. 35 करोड़ नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इस कपंनी ने टेण्डर स्वीकृति के उपरांत एक सहयोगी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेन्चर बनाकर वित्तीय क्षमता में वृद्धि की है जो कि सामान्य टेण्डर प्रक्रिया में कानूनी रूप से न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है ।

03. टेण्डर प्रक्रिया के प्रारंभ में मूल रूप से युडीआईएसएसएमटी योजना के अंतर्गत खंडवा हेतु बनाई थी जिसकी लागत करीब रू. 107 करोड़ डीपीआर में वर्णित थी । इस आधार पर ही टेण्डर आमंत्रित किये गये थे तथा इसमें

मूल कार्य योजना के अनुसार सलाहकार प्रस्तावित इंटेकवेल, पंप हाउस 33 केवी सब स्टेशन, इलेक्ट्रीक मोटर, जल शुद्धिकरण प्लांट एवं 10 आरसीसी ओव्हरहेड टेंक, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं डीआई पाईप लाइन द्वारा जल चारखेडा से खंडवा लाया जाना प्रस्तावित था । कार्ययोजना की प्री–बिड मीटिंग में विभिन्न टेण्डरकर्ताओं ने विचार विमर्श कर सुझाव/तर्क प्रस्तुत कर संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया । इस बाबत् समिति के अभिमत अनुसार नगर निगम द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार से इन बिन्दुओं पर विचार कर तकनीकी पहलुओं का आंकलन करते हुए पाईप मटेरियल या होने वाले अन्य परिवर्तनों से प्रस्तावित लागत में होने वाले बदलाव के लिए पुनः स्टीमेट बनवाना था तथा इसका तत्कालिक समय की वित्तीय परिस्थितियों को गौर करते हुए स्पेशिफिकेशन में संशोधन करते हुए अल्पकालिक सूचना के आधार पर टेण्डर बुलाया जाना जरूरी था ताकि इससे प्रदेश/देश की नामी कंपनीयां हिस्सा ले सकती थी एवं पुनरीक्षित दरों पर पानी को खंडवा तक पहुचाने का कार्य हो सकता था । परन्तु नगर निगम ने यह न करते हुए पूर्व टेण्डर में नियोजित योजना में पाईप मटेरियल बदलने की छूट एवं अन्य कई शर्तो में शिथिलता करते हुए समयावधि बढ़ाने बाबत् संशोधन बगैर किसी सक्षम प्रशासकीय अधिकारी की स्वीकृति लिए अडेण्डम 4 जारी कर दिया गया जो कि वित्तीय एवं तकनीकी रूप से पूर्व नियोजित टेण्डर प्रक्रिया के विपरीत है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन में शिथिलता कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है । इस संदर्भ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर म.प्र. विकास संघ प्राधिकरण एवं नगर निगम के तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट का अवलोकन से भी पता चलता है कि पूर्व टेण्डर के स्पेशिफिकेशन में बदलाव न हो अन्यथा नया टेण्डर किया जाना उचित होगा ।

04. उपरोक्त टेण्डर प्रक्रिया के पश्चात् विश्वा कंपनी द्वारा उपरोक्त कार्य को निश्चित समयावधि 2 वर्ष में याने 25.03.2012 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु अत्यधिक विलंब याने 15 माह अतिरिक्त व्यतीत होने के पश्चात् आज दिनांक तक इस वर्ष भी गर्मी में पानी की ज्वलंत समस्या खंडवा की जनता को वहन करना पड़ रही है । तथा आज की स्थिति में भी कंपनी या नगर निगम कोई भी निश्चित तिथि तक जल प्रदाय करने की स्थिति में नहीं है । इस तरह से विश्वा कंपनी की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली अगले 23 वर्षो तक खंडवा की जनता पर कैसी थोपी जा सकती है ।

05. टेण्डर प्रक्रिया में जल के उचित वितरण हेतु क्षेत्रवार झोन बनाकर 10 ओव्हरहेड टेंक बनाना प्रस्तावित था जिसके स्थान पर कंपनी द्वारा सिर्फ 09 ही टेंक बनाये गये जिससे कई क्षेत्रों में सुचारू रूप से जल वितरण नहीं हो पायेगा तथा इसका अतिरिक्त लाभ कंपनी को गैर कानूनी रूप से होगा ।

नगर निगम द्वारा विश्वा युटीलिटी प्रा.लिमि. हैदराबाद से अनुबंध पश्चात् अधिसूचना प्रकाशित की गई एवं 30 दिवस के भीतर शहर के नागरिकों से आपत्ति चाही गई । जारी की गई अधिसूचना एवं अनुबंध के

विरूद्ध करीब 10334 आपत्तियां प्राप्त हुई । स्वतंत्र समिति द्वारा सर्वप्रथम विश्वा कंपनी कंशेसनायर से व्यक्तिगत सुनवाई की एवं उससे निविदा का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

उपरोक्त जानकारियों के आधार पर समिति द्वारा आपत्तियों का वर्गीकरण किया गया और प्रत्येक आपत्ति पर जनता और नगर निगम का पक्ष सुना गया जो कि निम्नानुसार है :–

01	दावें आपत्ति क्र. 01	**विश्वा कंपनी और नगर पालिक निगम का अनुबंध निरस्त किया जावें।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधिसूचना में आम जनता एवं शहर हित का ध्यान नहीं रखा गया है बल्कि एकतरफा विश्वा युटिलीटीज प्रा.लिमि. हैदराबाद के सम्पूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए संरक्षित किया गया है । म.प्र. शासन एवं नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा योजना का मूल स्वरूप बलदकर इसे पी.पी.पी. में बदल दिया गया है । उपभोक्ता एवं कंपनी से सीधा अनुबंध संवैधानिक नहीं है ! नो पेररल वाटर सप्लाय की धारा तथा नो रेवेन्यु वाटर सप्लाय के नियमों के कारण अनुबंध स्वीकार योग्य नही है । संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना होने के कारण भी अनुबंध निरस्त किये जाने योग्य है । राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने दि. 12.02.09 को निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति पश्चात् योजना की निविदा बुलाई थी । निविदा के समय डीपीआर में डीआई एवं सीआईएलए. क्लास के पाईप की निविदा बुलाई गई थी जिसे बदलकर डीआई एवं एचडीईपी पाईप में बदल दिया गया । जो डीपीआर में स्पष्ट किया गया है एवं संदर्भ पत्र 2440 वीपीएस/08 दि. 19.12.08 संदर्भ पत्र 12/43 वीपीएस/08 दि. 28.07.08 इन सभी पत्रों के द्वारा संबंधित अधिकारियों द्वारा पाईपों को बदलने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया था क्योंकि टेण्डर पूर्ण होने के बाद डीपीआर को बदला नहीं जा सकता । इस प्रकार अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने योजना में भारी विसंगतियों /खामियों का उल्लेख करते हुए योजना की शर्तो / नियमों , निजीकरण, व्यावसायीकरण, जल वितरण, संचारण संधारण पर आपत्ति ली है । अतः अनुबंध निरस्त योग्य है ।
	नगर निगम का अभिमत	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत खण्डवा भाहर की जलप्रदाय समस्या के निदान हेतु नगर पालिक निगम, खण्डवा की जल आवर्धन योजना को रू. 106.73 करोड़ की योजना पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 2002 के आधार पर तैयार की थी जिसे दिनांक– 17/9/2007 को राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई (जिसमें 80

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि

प्रतिशत केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत नगर निगम खण्डवा का अंशदान था। जिसके अनुसार नगर पालिक निगम खण्डवा को लगभग रू. 10.67 करोड की राशि वहन करना थी) निविदा के पश्चात परियोजना की लागत बढना निश्चित था। अतः "निगम का अंशदान रू. 10.67 करोड तथा परियोजना की बढी हुई लागत का व्यय" नगर निगम खण्डवा द्वारा वहन किया जाना संभव नही था। भारत सरकार द्वारा परियोजना की बढी हुई लागत का व्यय उठाने से इंकार किया जा चुका था। अतः शासन के निर्देशानुसार एवं नगर निगम परिशद के प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 31 मार्च 2008 अनुसार परियोजना जननिजी भागीदारी के अंतर्गत सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन जननिजी भागीदारी (पी.ओ.टी.) में किये जाने के कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 3075 दिनांक 19/12/2008 अनुसार नगर निगम खण्डवा को इस योजना के लिए अपने अंश की राशि मिलाने की छुट प्रदान की गई है। इसके आधार पर म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित पीपीपी सेल के समक्ष वित्त विभाग के वि ोशज्ञों से अनुमोदन उपरांत एवं तकनीकी समिति के निर्णय अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार किये गयें। जिसमे निविदाकारों को बिना "निर्धारित मापदंड तथा लक्ष्य को" परिवर्तित किये तकनीक एवं सामग्री (वाल्यूम 4 पेज नं. 16 एवं 17) के स्वरूप में परिवर्तन करने की छुट प्रदान की गई। (अनुबंध वाल्युम 3 पेज न. 117) नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा योजना स्वीकृति उपरांत पारदर्शिता रखते हुए व्यापक प्रचार प्रसार के साथ निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें 19 कंपनीयों द्वारा निविदा फार्म क्रय किये गयें तथा 04 कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा करते हुए निविदा प्रस्तुत की गई। जिसमें विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लिमि. हैदराबाद की न्यूनतम दर 11.95/ कि.ली. प्राप्त हुई। जिसे राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा के उपरांत एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत किया गया। इस योजना हेतु एन.आई.सी. को पूर्ण रूप से वित्तीय शक्तियॉ प्राप्त है। स्वीकृति उपरांत अनुबंध कर कार्यादेश दिया गया। जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निविदा प्रकिया को स्वीकृति प्रदान की गई तथा केन्द्रीय दल द्वारा भी निविदा प्रकिया को सही माना गया है। अतः कंपनी तथा निगम के बीच का अनुबंध निति संगत है।

02 दावें आपत्ति क्र. 02 नगर पालिक निगम स्वयं जल वितरण व्यवस्था सम्भाले व

इसका निजीकरण न करें।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

नगर पालिक निगम खंडवा आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति दायित्वाधीन है अतः व्यवस्था नगर पालिक निगम स्वयं संभाले न कि किसी निजी कंपनी कंसेशनायर को प्रदाय करें । अधिसूचना में सारे अधिकार विश्वा को दे दिये गये है जिसके कारण नगर पालिक निगम स्वयं एक उपभोक्ता बनकर रह जावेगा । निजीकरण जनहित में नहीं होने के कारण जल वितरण व्यवस्था नगर निगम स्वयं करे ऐसा लगभग सभी आपत्तिकर्ताओं ने चाहा है ।

नगर निगम का अभिमत

योजना का निजीकरण नही किया गया है। शहर के नागरीको को शुद्ध पेयजल उचित गुणवत्ता एवं सहजता से 24X7 (वाल्युम 3 पेज नं. 68 कंडिका 16.8.6 (1)) अनुसार उपलब्ध कराने हेतु योजना का संचालन एवं संधारण मिश्रा कंपनी को दिया गया है। योजना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं स्वामित्व नगर पालिक निगम का होगा। नगर पालिक निगम के सुपरविजन में ही जल वितरण व्यवस्था संचालित की जावेगी। उक्त प्रक्रिया नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नियम के अनुसार एवं म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत है।

03 दावें आपत्ति क्र. 03

मीटर ना लगाया जावें एवं फ्लैट रेट पर जल वितरण किया जावें।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

जनता ने अपनी आपत्तियों में मीटर व्यवस्था पर निम्नलिखित आपत्तियां ली है, और पानी के मीटर नहीं लगना चाहिए । मीटर को उपभोक्ता की संपत्ति माना गया है और खराब होने पर उसे ही सुधारने का खर्च वहन करना होगा । मीटर के मापदंड के अनुसार यूरोपीयन मीटर उपभोक्ता को ही लगाना होगा जो काफी मंहगा होगा । अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने फ्लेट रेट पर जल वितरण चाहा है और यह भी आपत्तियों में दर्ज किया है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुसार सस्ता जल उपलब्ध होना चाहिए विशेष रूप से भिखारियों, गरीब बस्तियों के रहवासियों को सार्वजनिक नलों से पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर भी पानी पूर्व वितरण व्यववस्था अनुसार निःशुल्क एवं कम दरों पर सहज उपलब्ध होना चाहिए ।

नगर निगन का अभिमत

पानी के अपव्यय को रोकने के लिए तथा उपयोग किये जा रहे पानी की मात्रा नापना हेतु मीटर का लगाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 238 अनुसार मीटर लगाये जाने का प्रावधान उल्लेखित है। सी.ओ.डी. के पश्चात् स्टैब्लाईजेशन पिरियड (वाल्युम 4 पेज न. 51 कंडिका जे –4) में फ्लैट चार्ज का निर्धारण एम.

आई.सी.एवं परिषद द्वारा किया जावेगा।

04	दावें आपत्ति क्र. 04	**24 घंटे पानी नही चाहिए 1 या 2 घटें तक पानी सप्लाई चाहिए।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आपत्तिकर्ताओं ने 24 घंटे पानी की आवश्यकता को नकारा है मात्र 1 या 2 घंटे प्रतिदिन नियमित शुद्ध पानी उपलब्ध करना पर्याप्त होगा । इससे पानी का अपव्यय भी नहीं होगा ।
	नगर निगम का अभिमत	योजना का कियान्वयन होते ही सर्वप्रथम पेयजल टंकीयों को भरकर वर्तमान डिस्ट्रब्युशन लाईन से पेयजल वितरित किया जावेगा। अतः 24 घण्टे पानी दिया जाना शुरूवात से संभव नही है। सर्वप्रथम 1 या 2 घण्टे से शुरूवात कर धीरे–धीरे पेयजल सप्लाई अवधि बढाई जावेगी तथा वर्तमान डिस्ट्रब्युशन लाईन का सुदृढीकरण करते हुए 24X7 पेयजल वितरण प्रस्तावित है।
05	दावें आपत्ति क्र. 05	**आम जनता की सहमती के बिना इसे लागू न करें।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	दिनांक 03.12.12 को अधिसूचना प्रकाशित कर नगर पालिक निगम ने जो दावे आपत्तियां आमंत्रित की है उन पर आम जनता ने असहमति व्यक्त की है । जनप्रतिनिधियों और साधारण सभा में योजना को जो स्वीकृति प्रदान कर दी गई वास्तव में योजना के समय दावे आपत्तियां बुलाई जाना चाहिए थी । अतः आम जनता की सहमति के बिना इस योजना को लागू किया जाना न्याय संगत नहीं।
	नगर निगम का अभिमत	साधारण सभा के जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होकर चुने गये है तथा इन जन प्रतिनिधियों की मंशानुसार साधारण सभा द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा आम जनता की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति एवं दावें बुलाये गये थें एवं इन दावें आपत्तियों का निराकरण किये जाने के पश्चात अंतिम प्रकाशन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा।
06	दावें आपत्ति क्र. 06	**तकनीकी रूप से डिस्ट्रीब्युशन लाईन मय चाबी, वाल्व, एवं चेम्बर लगाये जाये।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आवेदनकर्ताओं/आपत्तिकर्ताओं ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि योजना समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो पा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, चाबी, वाल्व एवं चेम्बर आदि का कार्य अपूर्ण है और तकनीकी रूप से उसमें कई कमीयां विद्यमान है।
	नगर निगम का अभिमत	योजना का सम्पूर्ण कार्य तकनीकी रूप से किया जा रहा है। जिसका सुपरविजन मेहता एण्ड एसोसिएटस इंदौर, शास. पॉलि. कॉलेज खण्डवा, उपसंचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन इंदौर, मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल के द्वारा समय–समय पर किया जाता है तथा

केन्द्रीय जॉच दल द्वारा भी दो बार योजना का निरीक्षण किया गया है तथा किये गये कार्यो को तकनीकी रूप से उचित पाया गया। भविष्य में आवश्यकता अनसुार चाबी, वाल्व एवं चेम्बर बनाये जावेगें।

07 दावें आपत्ति क्र. 07 **बी.पी.एल. परिवार को सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट से पानी दिया जावें।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — जनता ने गरीब परिवार के 50 प्रतिशत दर भी बेईमानी बताया है, क्योंकि जिन परिवारों को शासन चिकित्सा, शिक्षा जल आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, उसे अब शुल्क देना होगा जो न्यायोचित नहीं है । अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है कि उन्हें भी 150 रू. प्रतिमाह का भुगतान देय होगा । जहां तक ग्रुप कनेक्शनों (10 परिवार का 1 ग्रुप) की व्यवस्था की बात है यह अराजकता को जन्म देगी ऐसा अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने कहा है ।

नगर निगम का अभिमत — गरीब परिवारों के लिये ग्रुप कनेक्शनो (10 परिवारो का 1 ग्रुप)की व्यवस्था रहेगी। ग्रुप लीडर सभी सदस्यो से जलकर प्राप्त कर नगर पालिक निगम खण्डवा के खाते में जमा कराएगा। खपत हुए कुल जल की मात्रा में कुल परिवारो की संख्या का भाग देकर खपत की मात्रा निर्धारित की जावेगी। बी.पी.एल. परिवार हेतु दर आधी रहेगी।

08 दावें आपत्ति क्र. 08 **अवैध कनेक्शन को वैध किया जावें।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने लिखा है कि यदि अवैध नल कनेक्शनों को वैध किया जाता है तो लगभग 50 हजार से भी अधिक वैध कनेकशन होंगे जबकि वर्तमान में वैध कनेक्शनों की संख्या लगभग 15 हजार है ।

नगर निगम का अभिमत — नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा अवैध कनेक्शनो को वैध करने की कार्यवाही की जा रही है। लगभग 700 कनेक्शनो को वैध किया जा चुका है। इसके लिए समझौता शुल्क रू. 3000/– तय किया था वर्तमान में उक्त राशि रू. 4100 की गई है। भविष्य में अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनो को वैध किया जाना प्रस्तावित है।

09 दावें आपत्ति क्र. 09 **पीपीपी स्वीकार नही है।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — मूल योजना बी.ओ.टी. में स्वीकृत हुई थी शनैःशनै इसे परिवर्तित करते हुए पीपीपी में परिवर्तित कर दी गई जिसके तहत कंपनी को लागत का 10 प्रतिशत याने 10 करोड़ रूपये लगाना था । इस प्रकार योजना का स्वरूप बदलकर बी.ओ.ओ.टी. में भी परिवर्तित कर दिया गया जिसके तहत विश्वा स्वयं मालिक बन गया है और सारे स्त्रोत उसके सुपुर्द कर दिये गये है । यह विधि विरूद्ध है ।

नगर निगम का अभिमत — यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत खण्डवा शहर की

जलप्रदाय समस्या के निदान हेतु नगर पालिक निगम, खण्डवा की जल आवर्धन योजना को रू. 106.73 करोड़ की योजना पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 2002 के आधार पर तैयार की थी जिसे दिनांक– 17/9/2007 को राज्य स्तरीय साधिकार समिति स्वीकृति प्रदान की गई (जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत नगर निगम खण्डवा का अंशदान था। जिसके अनुसार नगर पालिक निगम खण्डवा को लगभग रू. 10.67 करोड की राशि वहन करना थी) निविदा के पश्चात परियोजना की लागत बढना निश्चित था। **अतः निगम का अंशदान रू. 10.67 करोड तथा परियोजना की बढी हुई लागत का व्यय नगर निगम खण्डवा द्वारा वहन किया जाना संभव नही था।** भारत सरकार द्वारा परियोजना की बढी हुई लागत का व्यय उठाने से इंकार किया जा चुका था। अतः शासन के निर्देशानुसार एवं नगर निगम परिशद के प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 31 मार्च 2008 अनुसार परियोजना जननिजी भागीदारी के अंतर्गत सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन जननिजी भागीदारी में किये जाने के कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 3075 दिनांक 19/12/2008 अनुसार नगर निगम खण्डवा को इस योजना के लिए अपने अंश की राशि मिलाने की छुट प्रदान की गई है। इसके आधार पर म.प्र. भासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित पीपीपी सेल के समक्ष वित्त विभाग के विशेषज्ञों से अनुमोदन उपरांत एवं तकनीकी समिति के निर्णय अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार किये गयें। जिसमे निविदाकारों को बिना निर्धारित मापदंड तथा लक्ष्य को परिवर्तित किये तकनीक एवं सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन करने की छुट प्रदान की गई। (अनुबंध दास्तुन III पेज न. 117)

10	दावें आपत्ति क्र. 10	पाईप मटेरियल की जाच की जाए।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने पाईप मटेरियल की जांच का मुद्दा उठाया है ।
	नगर निगम का अभिमत	निविदा अनुसार निर्धारित मापदंड परिवर्तित किये बिना कंपनीयो को पाईप मटेरियल उपयोग करने की छुट प्रदान की गई थी तदानुसार विश्वा कंपनी द्वारा क्लियर राईजिंग मेन में जी.आर.पी. तथा डिस्ट्रीब्युशन में एच.डी.पी.ई. का उपयोग करते हुए दरें प्रस्तुत की गई थी तथा अनुबंध अनसुार उक्त पाईप का ही उपयोग किया जा रहा है। अनुबंध पश्चात पाईप मटेरिलय में कोई परिवर्तन नही किया गया है तथा उक्त पाईप की निर्माता कंपनी द्वारा 50 साल की ग्यारंटी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पेज

नं. 117 एवं वाल्यूम 3)

11 दावें आपत्ति क्र. 11 **10 प्रतिशत राशि लगाने वाले को 25 साल का अनुबंध किया जावें यह गैर कानूनी है।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — लगभग सभी आपत्तिकर्ताओं ने बतलाया है कि मात्र 10 प्रतिशत राशि कंशेसनायर द्वारा लगाये जाने पर उसे 25 वर्ष तक सारे अधिकार सौंपे जाना न्यायसंगत नहीं है । यह सारी जल व्यवस्था को विश्वा के पास गिरवी रखने जैसा है ।

नगर निगम का अभिमत — यु.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना एवं जन निजी भागीदारी में खण्डवा शहर की जल आवर्धन योजना के कियान्वयन के लिए निविदा में यह शर्त रखी गई कि नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा कन्सेसनर को सबसिडी के रूप में रूपये 93. 25 करोड की राशि देय होगी तथा कन्सेसनर द्वारा योजना पूरी करने के लिए अपने स्वयं का अंशदान व्यय किया जावेगा। योजना पूर्व में रूपये 106.72 करोड की स्वीकृत हुई। निविदा पश्चात् स्वीकृत / सफल निजी कंपनी "विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रा. लिमि. " द्वारा योजना की लागत रूपये 115.32 करोड रूपये प्रस्तुत की इस प्रकार एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं का अंशदान रूपये 22. 07 करोड रूपये व्यय किया जावेगा जो कि 10 प्रतिशत ना होकर 20.68 प्रतिशत हैं तथा 25 वर्षो तक योजना का संचालन संधारण नगर निगम के निर्देशन में "विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रा. लिमि. " द्वारा किया जावेगा एवं इसमे लगने वाला व्यय रूपये 7.62 करोड प्रतिवर्ष भी कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा ।

12 दावें आपत्ति क्र. 12 **अनुबंध की शर्ते मान्य नही है।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — अनुबंध की सारी शर्ते जनता एवं नगर हित में नहीं होने के कारण लगभग सभी आपत्तिकर्ताओं ने अनुबंध की शर्तो को स्वीकार करने से स्पष्ट इंकार किया है ।

नगर निगम का अभिमत — यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत खण्डवा शहर की जलप्रदाय समस्या के निदान हेतु नगर पालिक निगम, खण्डवा की जल आवर्धन योजना को रू. 106.73 करोड़ की योजना पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 2002 के आधार पर तैयार की थी जिसे दिनांक– 17/9/2007 को राज्य स्तरीय साधिकार समिति स्वीकृति प्रदान की गई (जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत नगर निगम खण्डवा का अंशदान था। जिसके अनुसार नगर पालिक निगम खण्डवा को लगभग रू. 10.67 करोड की राशि वहन करना थी) निविदा के पश्चात परियोजना की लागत बढना निश्चित था। अतः निगम का अंशदान रू. 10.67 करोड तथा परियोजना की बढी हुई

लागत का व्यय नगर निगम खण्डवा द्वारा वहन किया जाना संभव नही था। भारत सरकार द्वारा परियोजना की बढी हुई लागत का व्यय उठाने से इंकार किया जा चुका था। अतः शासन के निर्देशानुसार एवं नगर निगम परिशद के प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 31 मार्च 2008 अनुसार परियोजना जननिजी भागीदारी के अंतर्गत सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन जननिजी भागीदारी में किये जाने के कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 3075 दिनांक 19/12/2008 अनुसार नगर निगम खण्डवा को इस योजना के लिए अपने अं की राशि मिलाने की छुट प्रदान की गई है। इसके आधार पर म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित पीपीपी सेल के समक्ष वित्त विभाग के विशेषज्ञों से अनुमोदन उपरांत एवं तकनीकी समिति के निर्णय अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार किये गयें। जिसमे निविदाकारों को विना निर्धारित मापदंड तथा लक्ष्य को परिवर्तित किये तकनीक एवं सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन करने की छुट प्रदान की गई। (अनुबंध वाल्युम III पेज न. 117) नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा योजना स्वीकृति उपरांत पारदर्शिता रखते हुए व्यापक प्रचार प्रसार के साथ निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें 19 कंपनीयों द्वारा निविदा फार्म कय किये गयें तथा 04 कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा करते हुए निविदा प्रस्तुत की गई। जिसमें विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लिमि. हैदराबाद की न्यूनतम दर 11.95/कि.ली. प्राप्त हुई। जिसे राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा के उपरांत एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत किया गया। इस योजना हेतु एम.आई.सी. को पूर्ण रूप से वित्तीय शक्तियॉ प्राप्त है। स्वीकृति उपरांत अनुबंध कर कार्यादेश दिया गया। जिसमें किसी भी प्रकार की आनाकानी नही की गई है। राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा निविदा प्रकिया को स्वीकृति प्रदान की गई तथा केन्द्रीय दल द्वारा भी निविदा प्रकिया को सही माना गया है। अतः कंपनी तथा निगम के बीच का अनुबंध निति संगत है।

13 दावें आपत्ति क्र. 13
जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

औद्योगिक क्षेत्र को शासकीय दरों पर पानी दिया जाए।

नगर निगम का अभिमत

अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में जल वितरण की दरें पृथक से दर्शाई गई है जिसे आपत्तिकर्ताओं ने उचित नहीं ठहराया है ।
औद्योगिक क्षेत्र को एम.आइ.सी/परिषद/शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही पानी दिया जावेगा।

14 दावें आपत्ति क्र. 14

धार्मिक स्थल, कार्यक्रम, एवं पर्व पर निशुल्क पानी व्यवस्था की जावें।

	आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी	जारी अधिसूचना में इन स्थलों में निःशुल्क जल वितरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था । और आपत्तिकर्ताओं ने इस पर अपना विरोध जताया है । एवं अनुबंध निरस्त हेतु लिखा है ।
	नगर निगम का अभिमत	धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, धार्मिक पर्व पर निशुल्क पानी की व्यवस्था नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा वर्तमान अनुसार ही निशुल्क संचालित रहेगी।
15	दावें आपत्ति क्र. 15	**सार्वजनिक प्याउ की व्यवस्था वर्तमान की तरह रहने दी जाए।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	जारी अधिसूचना में सार्वजनिक प्याऊ में निःशुल्क जल वितरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था । और आपत्तिकर्ताओं ने इस पर अपना विरोध जताया है । एवं अनुबंध निरस्त हेतु लिखा है ।
	नगर निगम का अभिमत	सार्वजनिक प्याउ को पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा वर्तमान अनुसार संचालित रहेगी।
16	दावें आपत्ति क्र. 16	**निजी जल स्त्रोतो को पूर्व की तरह रखा जाए।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	जारी अधिसूचना में सार्वजनिक प्याऊ में निःशुल्क जल वितरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था । और आपत्तिकर्ताओं ने इस पर अपना विरोध जताया है । एवं अनुबंध निरस्त हेतु लिखा है ।
	नगर निगम का अभिमत	निजी जल स्त्रोत जैसे निजी ट्यूबवेल, निजी कुओं आदि पर वर्तमान की तरह ही सचालित रहेगें। इनका भवन स्वामी द्वारा निजी उपयोग प्रतिबंधित नही होगा।
17	दावें आपत्ति क्र. 17	**नगर पालिक निगम जनता के करो को क्या पानी खरीदने में अपव्यय करेंगी या उसे भाहर के विकास में लगायेगी।**
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आपत्तिकर्ताओं ने लिखा है कि नगर में जल वितरण व्यवस्था उचित नहीं होने के फलस्वरूप कृत्रिम जल संकट उत्पन्न किया जाता है और निजी टैंकर मालियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक मोटी रकम इस मद में खर्च की जाती है जिसका भुगतान शहर के विकास में लगने वाली पूंजी से किया जाता रहा है जो कि उचित नहीं है और शहर का विकास अवरूद्ध हो रहा है ।
	नगर निगम का अभिमत	वर्तमान में भी नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा जनता से प्राप्त कर राशि को शहर के विकास में व्यय करती है तथा शहर की जल वितरण व्यवस्था पर वर्तमान में जो राशि व्यय होती है, उसे विकास कार्यो में लगाया जावेगा। संलग्न व्यय तथा भुगतान योग्य प्रत्रक संगलन।
18	दावें आपत्ति क्र. 18	**मेहता एसोसिएट द्वारा 19/06/08 नगर पालिक निगम खण्डवा आयुक्त को लिखे पत्र में टेण्डर के बाद पाईप की क्वालिटी बदलने से कुल टेण्डर की लागत का लगभग 25**

करोड रूपया कम हो गया है, जिसका सीधा फायदा भ्रष्ट अधिकारियों एवं भ्रष्ट ठेकेदार को पहुचा है, जिसकी जॉच सी.वी.सी. नई दिल्ली से कराई जाना जनहित में होगा।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आवेदनकर्ताओं ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बिना साधारण सभा/एमआईसी एवं जनता/तकनीकी विशेषज्ञों की राय लिये बिना योजना / उपयोजना के मटेरियल आदि में समय–समय पर परिवर्ततन कर लिये गये है जिसके कारण भी जनता विश्वा कंपनी को एकाधिकार नहीं देना चाहती ।

नगर निगम का अभिमत

कृपया उक्त प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 22 के टेबल का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें द्वितीय न्युनतम निविदा का रैमकी हैदराबाद द्वारा क्लीयर वाटर राईजिंग मेन में डी.आई. पाईप का उपयोग किये जाने पर योजना की केपिटल कास्ट 159.49 करोड तथा दर 15.84 प्रति किलो लीटर प्रस्तुत की है जबकि सफल निविदाकार विश्वा कम्पनी के जी.आर.पी.पाईप उपयोग करने पर केपिटल कास्ट 115. 32 करोड तथा दर 11.95 प्रति किलो लीटर हैं। इससे स्पष्ट है कि पाईप मटेरियल परिवर्तन नही किया जाता तो 44.17 करोड रूपये राशि एवं 3.89 प्रति किलो लीटर दर अतिरिक्त शहर वासियो को वहन करना पडती।

19 दावें आपत्ति क्र. 19

DPR में जल वितरण स्लेब भी प्रदर्शित नही है जबकि इस बाबत् निजी कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिय मनगर्जी से स्लेब तैयार किया है जिसे नगर निगम परिषद और अधिकरीयों ने ऑख बंद कर स्वीकृति प्रदान कर आम जनता के साथ धोखा किया है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

अधिसूचना में जल वितरण स्लेब दरों से संबंधित प्रदर्शित है जिसमें पूर्व दावे आपत्तियों में इसका उल्लेख किया गया है इसमें भी जन भावना को कतई महत्व नहीं दिया गया है ।

नगर निगम का अभिमत

निजी कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिए मनगर्जी से स्लेब तैयार नही किया गया है। अपितु उक्त स्लेब निविदा कार्यवाही एवं अनुबंध का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण एवं जल का अपव्यय रोकना तथा जल का समूचित उपयोग की व्यवस्था करना।

20 दावें आपत्ति क्र. 20

निविदा लागत मूल्य का 51 प्रतिशत स्वीकृत निविदाकर्ता का शेयर लागत में होना आवश्यक है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आपत्तिकर्ताओं ने यह आपत्ति ली है कि निविदा लागत मूल्य का 51 प्रतिशत शेयर स्वीकृत निविदाकर्ता का होगा तथा 49 प्रतिशत शेयर जनता का होगा यह योजना के पीपीपी के तहत निजीकरण का निर्णय लिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है । इस कारण जनता ने विश्वा से अनुबंध को नकार दिया और उसे एकाधिकार दिया जाना न्यायसंगत

नहीं होगा ।

नगर निगम का अभिमत — म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 31 मई 2006 के कण्डिका क्रमांक 4.2 का आशय निजी कम्पनी की परिभाषा से है । जिस कम्पनी में 51 प्रतिशत से अधिक भागीदारी निजी हो वह निजी कम्पनी कहलाती हैं तथा इसे जन निजी भागीदारी के निविदा लागत से जोडकर नही देखा जाना चाहिए।

21 दावें आपत्ति क्र. 21 — अधिसूचना की कंडिका 10 के उपर यह आपत्ति हैं कि आम जनता के प्रति नगर पालिक निगम खण्डवा दायित्वहीन है इसलिए जल प्रदाय जल कर वसूली व नल विच्छेद के अधिकार और दायित्व नगर निगम खण्डवा के है न कि निजी कंपनी के है। ऐसे में आम जनता के प्रति विश्वा यूटिलिटिज का कोई भी व्यवहार या कार्यवाही शुन्य है और हस्तांतरण भी अवैध है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — नपानि एक्ट 1956 की उल्लेखित धाराओं के तहत विश्वा युटीलिटीज प्रा.लिमि. को जल प्रदाय संचालन एवं संधारण के जो अधिकार दिये गये है अधिनियम की गलत व्याख्या का परिणाम है इस अधिनियम में ऐसा कोई अधिकार हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है । यह पूर्णतः जनविरोधी एवं संविधान के विरूद्ध है ।

नगर निगम का अभिमत — म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 220 से 245 एवं 429, 432 एवं 432ए के अनुसार कार्यवाही की गई हे।

22 दावें आपत्ति क्र. 22 — मेहता एण्ड एसोसिएट कन्सलटेन्स को प्रोजेक्ट बनाने की टेण्डर की जाहिर सूचना भी समाचार में प्रकाशित नही की गई।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — आवेदकर्ताओं ने जो दावा आपत्ति ली है उसका आशय यह है कि टेण्डर की जाहिर सूचना नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई है जबकि शासन की ओर से टेण्डर प्रक्रिया सुस्पष्ट है ।

नगर निगम का अभिमत — मेहता एण्ड एसोसिएट कन्सलटेन्स को प्रोजेक्ट बनाने की टेण्डर की जाहिर सूचना दिनांक – 12/10/2006 दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित की गई हैं।

23 दावें आपत्ति क्र. 23 — उपभोक्ता से अनुबंध कंडिका 1 और 4 अवैध है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — आपत्तिकर्ताओं ने यह आपत्ति दर्ज की है कि नपानि नियमों एवं विनियमों से बंधी है और वह किसी भी योजना को लागू करने के पूर्व जनता की राय आवश्यक है जो कि प्रस्तुत योजना लाने के पूर्व जनता को अनदेखा किया गया है । अतः अनुबंध कंडिका 1 और 4 को भी अवैध माना है।

नगर निगम का अभिमत — नगर पालिक निगम के नियम एवं विनियम के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

24	दावें आपत्ति क्र. 24	अनुबंध में नागचून तालाब सहित खण्डवा शहर के विभिन्न सार्वजनिक बोरिंग कुओ आदि का क्या होगा इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नही है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	जारी अधिसूचना में सार्वजनिक बोरिंग उद्यानों को निगम द्वारा अधिग्रहित कर लिया जावेगा जिस पर आपत्तिकर्ताओं ने इसे एकाधिकार निरूपित किया है और अनुबंध की शर्त अमान्य की है ।
	नगर निगम का अभिमत	डी.पी.आर. में उल्लेखित है कि नागचून तालाब को औद्योगिक जल उपयोग कि आवश्यकता हेतु सुरक्षित रखा जावेगा तथा सार्वजनिक कुओं की व्यवस्था वर्तमान अनुसार नगर निगम खण्डवा करेगी तथा सार्वजनिक पेयजल के लिए उपलब्ध रहेगें। सार्वजनिक बोरिंग का उपयोग सार्वजनिक उद्यानों एवं हैण्डपम्प के रूप में किया जावेगा।
25	दावें आपत्ति क्र. 25	135 लीटर/व्यक्ति पानी की आवश्यकता भी अधिक है जबकि CPHEEO के अनुसार जिन शहरों में सेन्ट्रलाईज ड्रनेज सिस्टम नही है वहा 70 लीटर/व्यक्ति प्रति दिन पानी की आवश्यकता को बताया गया है, 2012 को प्रकाशित खंडवा के मास्टर प्लान में भी 2030 तक सेंट्रलाईज ड्रनेज सिस्टम की कोई रूपरेखा नही है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि खंडवा नगर में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता 70 कि.ली. से अधिक नहीं है जबकि योजना की लागत बढ़ाने के उद्देश्य से इसे बढ़ाकर 135 कि.ली. कर दी गई जिसे जनता ने सिरे खारिज कर दिया है ।
	नगर निगम का अभिमत	खण्डवा भाहर में पूर्व से ही जल निकासी हेतु नाली एवं नालों का प्रावधान हैं तथा नवीन कालोनियां में अन्डरग्राउड प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है तथा सम्पूर्ण शहर हेतु अन्डरग्राउड सीवरेज एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट योजना तैयार की जा रही हैं। अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक अभियांत्रिकी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) द्वारा निर्धारित मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुसार खपत 30 एम.एल.डी. आवश्यकता बताई गई है जो कि निर्धारित मानक के परिपालन अनुसार हैं। खण्डवा शहर के लिये नागचून एवं सुक्ता दो जल स्त्रोत है इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल के द्वारा जलप्रदाय किया जाता हैं। नागचून स्त्रोत का निर्माण सन् 1895 में किया गया था तथा सुक्ता स्त्रोत का निर्माण 1965 में किया गया था इन सभी स्त्रोतो से 15.55 एमएलडी जल प्रदाय किया जाता है शहर की बढती जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुऐ नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा आगामी 30 वर्षो के लिए जल आवर्धन योजना तैयार की जिसमे भविष्य की आवश्यकता देखते हुऐ 135

		लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की मानक के अनुसार व्यवस्थ रखी जो कि सीपीएचईईओ मानको के अनुसार हैं। शहर के प्राचीन जलस्त्रौत वर्तमान में पेयजल व्यवस्था के लिए उपयुक्त नही हैं। वर्तमान एवं भविश्य की जलापूर्ति के देखते हुऐ सीपीएचईईओ मानक के अनुसार शहर के लिए वर्तमान स्त्रौत पर्याप्त नही है इसलिए नगर पालिक निगम द्वारा नऐ स्त्रौत का सर्वेक्षण कर जल आवर्धन योजना तैयार की गई जो कि खण्डवा शहर के लिए वर्तमान एवं भविष्य की बढती जनसंख्या एवं क्षैत्रफल के लिए उपयुक्त हैं। शहर में जलसंकट वास्तविक है पिछले 20 वर्षो से शहर में ग्रीष्म ऋतु मे जल प्रदाय की वास्तविक समस्या रहती हैं। प्रतिवर्ष सुक्ता स्त्रोत पर जल की उपलब्धता कम हो जाती है इसके लिए सुक्ता से लेकर जसवाडी फिल्टर प्लाटं तक जल संरक्षण के लिए नगर निगम खण्डवा एवं जिला प्रशासन को कवायत करना पडती हैं।
26	दावें आपत्ति क्र. 26	आपकी कंडिका 14 पर मुझे घोर आपत्ति है जिसमें नान रेवेन्यू जल प्रदाय वर्जित किया गया है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना में नान रेवेन्यू वाटर सप्लाय को स्पष्ट नहीं किया गया है । इस नियम के कारण नगर निगम किसी को भी पानी बिना पैसे का नहीं मिलेगा जबकि पानी एक साझा संसाधन है जिस पर सभी का हक है । यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना है ।
	नगर निगम का अभिमत	उक्त कंडिका का आशय यह है कि बिना शुल्क के जल प्रदाय व्यवस्था नही की जा सकेगी। किन्तु नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्याउ एवं धार्मिक स्थल, धार्मिक पर्व पर वर्तमान अनुसार ही निशुल्क व्यवस्था नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा की जावेगी।
27	दावें आपत्ति क्र. 27	निविदा समुचित नही पाई गई परिपत्र क्र. 2088/वी.पी.एस./08 अनुसार डी.ई.ओ. लेटर में दिनांक 22/10/08 कार्यपालक संचालक म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ ने स्पष्ट रूप से लिखा है, फिर भी निविदा स्वीकृत कर दी गई। इस निविदा की शर्तो एवं एग्रीमेंट से अलग हट कर अनेकों संशोधन ठेकेदार मेसर्स विश्वा इन्फास्ट्रक्चर कंपनी के पक्ष में कंपनी को करोडों का फायदा पहुॅचाने के लिए किये गयें। जो कि विधि संगत नही है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आपत्तिकर्ताओं ने वास्तव में टेण्डर प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह लगाये है ? जैसे निविदा पुनः बुलाना, निविदा में बार--बार संशोधन करना और संशोधन में भी मेसर्स विश्वा कंपनी के पक्ष में करोड़ों रूपये का फायदा पहुंचाने के लिए

किया गया । योजना की अनियमितता एवं विसंगतियों की जांच केन्द्रीय जांच दल ने अगस्त 2011 में की थी । 30 अगस्त 2011 की रिपोर्ट पर योजना को जनभागीदारी योजना में परिवर्तन करने और पाईप मटेरियल बदले जाने पर आश्चर्य जताया गया है । यह भी आपत्ति है कि टेण्डर आमंत्रण की सूचना 10 लाख से अधिक राशि के लिए सर्वाधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई । जनता ने अनियमितता एवं विसंगतियों की जांच हेतु प्रतिनिधियों के माध्यम से मांग प्रस्तुत की है ।

नगर निगम का अभिमत

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा में देश के 19 कंपनीयों द्वारा निविदाऐं क्रय की गई तथा प्री–बिड में भाग लिया गया है। प्रीबिड दिनांक 16.6.2008 के पश्चात राज्य स्तरीय तकनीकी समिति अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक 1934 दिनांक 13/08/2008 के परिपालन में Addendum No.4 जारी किया गया। जिसमें निविदा के प्रपत्रों के संबध में जननिजी भागीदारी योजना की लागत कम करने के लिए जिससे की उपभोक्ताओं को जलदर न्युनतम प्राप्त हों। निविदकारो को बिना निर्धारित मापदंड तथा लक्ष्य को परिवर्तित किये तकनीकी एवं सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन करने की छुट दी गई थी । निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक 30/09/2008 को निम्न –कंपनियों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई । 1. विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद 2. रैमकी हैदराबाद 3. सुभाश प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग –बैंगलोर 4. एम. एस.के. प्रोजैक्ट –बडौदा इसी दिन प्रथम लिफाफा अर्नेस्टमनी का लिफाफा खोला गया जिसमें सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी सही पाई गई। तत्पश्चात दूसरा लिफाफा तकनीकी एवं वित्तिय क्षमता का खोला गया । इसके बाद तकनीकी वित्तीय क्षमता की परीक्षण प्रकिया आंरभ की गई । इस प्रकिया के दौरान राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 06/10/2008 का कार्यवाही विवरण दिनांक 17/10/2008 को नोडल एजेंसी म.प्र.वि. प्राधिकरण संघ भोपाल से प्राप्त हुआ जिसमें निविदा प्रपत्रों को समुचित नही पाये जाने के कारण उन्हें संशोधित कर पुनः निविदा आंमत्रण का निर्णय लिया गया तथा स्वीकृत डी.पी.आर. स्पेसिफिकेशन अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार करने के निर्देश दिये गयें। राज्य तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 12/01/2008 के कार्यवाही विवरण पत्र कमांक 76 दिनांक 15/01/2009 में निर्णय लिया गया कि निकाय द्वारा निविदा आंमत्रित की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत परिषद उचित निर्णय कर आगामी कार्यवाही हेतु

राज्य तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें निर्णय के परिपालन में निविदाकारों के प्रजेन्टेशन हेतु निर्धारित दिनांक 16/01/2009 को मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास की उपस्थिति में चारों निविदाकार संचालनालय स्थित सभागृह में उपस्थित हुए। मुख्य. अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क 72 दिनांक 16/01/2009 अनुसार "यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान बाजार दर एवं सितम्बर की दरो में अंतर है। इसको दृष्टिगत रखते हुए निविदाकारो से पुनरीक्षित दर आंमत्रित की जायें। निविदाकारों को पुनरीक्षित दरों के साथ आव यक तकनीकी एवं वित्तीय विवरण देने हेतु सूचित किया जाना उचित होगा" उपरोक्त निर्णय के परिपालन में निविदाकारों को दिनांक 16/01/2009 को पत्र जारी किया गया। तत्प चात चारों निविदाकारों द्वारा संशोधित दरों के प्रस्ताव आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय के साथ प्रस्तुत किये गयें राज्य तकनीकी समिति के पत्र दिनांक 07/02/2009 के अनुसार तकनीकी प्रस्तावों का परीक्षण किया गया तथा उचित पाया गया एवं वित्तीय प्रस्ताव खोलने की अनु ंसा की गई दिनांक 10/09/2009 को तत्कालीन महापौर, विधायक खण्डवा, विधायक मांधाता, पूर्व विधायक श्री हुकुमचंद जी यादव, परिषद अध्यक्ष श्रीमती अनिता गुप्ता, नेताप्रतिपक्ष, परिषद सदस्य एल्डरमेन श्री जगन्नाथ गाने, श्री हरीश कोटवाले जी के समक्ष निविदाऐं खोली गई । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निविदाकार	प्रस्तुत दर	Capital cost	O&M co
1	1विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद	11.95 Per KL	115.32 Cr	7.62 Cr.
	2 रैमकी हैदराबाद	15.84 Per KL	159.49 Cr	9.07 Cr.
	3 सुभाश प्रोजैक्ट	16.30 Per KL	165.34	6.34 Cr.

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि"

परिपालन अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

	एण्ड मार्केटिंग– बैंगलोर		Cr.	
	4 एम.एस.के. प्रोजैक्टस बडौदा	34.20 Per KL	230.30 Cr	9.20 Cr

उपरोक्तानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद की दर रू. 11.95 प्रति किलोलीटर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनु ंसा दिनांक 12.2.2009 प चात मेंयर इन काउंसिल दिनांक 16/02/2009 विशय क्रमांक 11 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। कृपया उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने का कश्ट करें जिसके अनुसार सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन की छुट दिये जाने के कारण ही रू. 11.95 प्रति किलोलीटर दर प्राप्त हुई है अन्यथा अत्यधिक दर आने पर नगर वासियों को एक सामान्य निर्धारित भुल्क में पेयजल वितरित किया जाना संभव नही हो पाता। राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अन्तर्गत खण्डवा शहर की जल आवर्धन योजना स्वीकृत की गई हैं। अतः योजना में किसी भी परिवर्तन के अधिकार राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति के अधिन है अतः राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति के अध्यक्ष महोदय को दिनांक – 13/03/2009 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति अध्यक्ष द्वारा निविदा की सम्पूर्ण प्रकिया से अवगत कराया गया। जिसे स्वीकार करते हुऐ दिनांक– 16/03/2009 को राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकिया की स्वीकृति प्रदान की गई जिसे राज्य प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 24 जून 2009 प्रस्ताव कमांक 5 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

28 दावें आपत्ति क्र. 28

कंडिका 13 अनुसार नगर निगम खण्डवा में कन्शेसनर एजेन्सी के मध्य हुए अनुबंध एवं सभी शर्तें इसके तहत लागू नही की जा सकती क्योकि आम जनता के लिए आप दो पक्षो के द्वारा आम जनता को विश्वास में लिए बिना किया

गया अनुबंध अपने आप में अवैध है और इसके किसी भाग का प्रभाव आम जनता पर नही पड सकता

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने कहा कि जिसका कार्य ही शहर की स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं सफाई व्यवस्था करना है वह अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रही है । योजना बनाते समय जनता का मत क्यों नहीं लिया गया । जनहित विरोधी तथ्यों को अनदेखा करते हुए अनुबंध क्यों किया गया ? और अनुबंध के पश्चात् आपत्तियां बुलाने का क्या औचित्य है । इस प्रकार सभी आपत्तिकर्ताओं ने अनुबंध निरस्त करने का विरोध किया ।

नगर निगम का अभिमत

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुबंध नियमानुसार ही संपादित किया गया है।

29 दावें आपत्ति क्र. 29

वर्षो से वैध कनेक्शनधारीयों को पुनः कनेक्शन लेने अनुबंध करने एवं इस हेतु राशि पुनः जमा करने हेतु मजबूर किया जाना अवैध एवं विधि विरूद्ध है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आवेदनकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की है कि पहले से ही नगर निगम के उपभोक्ता है फिर नये सिरे से पुनः कनेक्शन लेना उचित नहीं है । अतः इस अनुबंध की शर्तों से आम जनता बंधी हुई नहीं है । जब जनता ने इस अनुबंध को एक सिरे से खारिज कर दिया है और निजीकरण के विरूद्ध है तब नगर निगम की यह घोषणाएं उचित नहीं है ।

नगर निगम का अभिमत

वर्तमान नल संयोजन का मीटरीकरण, मीटरिंग एवं कनेक्शन नियमितीकरण नियमों के अनुसार होगा। उपभोक्ता मीटर सुरक्षा राशि नगर पालिक निगम में जमा करेगा रसीद प्राप्त करने के पश्चात् परीक्षण के बाद आवेदक नगर पालिक निगम एवं कन्सेशनायर को आवेदक के प्रेमिसेस में मीटर लगाने के लिये सूचित करेगा। मीटर स्थापित करने के लिए मीटर की केपिटल कास्ट एवं लेबर कास्ट कन्सेशनायर द्वारा वहन की जावेगी । वर्तमान उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि राशि नही ली जावेगी। (अनुबंध वाल्यूम 4 का पेज नं 37 38, कंडिका सी, एवं पेज नं. 80 शेडयूल डब्ल्यू कंडिका 7)

30 दावें आपत्ति क्र. 30

No Parallel Competing Facility
कोई समानान्तर प्रतियोगी सुविधा नही है ।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आपत्तिकर्ताओं ने अधिसूचना क्र. 11 स्पष्ट नहीं होने के कारण खारिज की है और समस्त जल स्त्रोतों को अधिग्रहण कर लिये जाने को विधिसंगत नही कहा गया है । आपत्तिकर्ताओं ने लिखा है कि योजना के व्यावसायिक आरंभ दिवस से जल प्रदाय के संचालन संधारण के सारे अधिकार निजी कंपनी को हस्तांतरित हो जायेंगे, जल प्रदाय में निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं रह जायेगा, नगर निगम स्वयं एक उपभोक्ता बन जायेगा । सार्वजनिक आयोजन

जैसे भागवत कथा, गुरूपूर्णिमा, ईद, सामूहिक विवाह आदि आयोजनों पर पानी कंपनी से खरीदना पड़ेगा और ढेढ़ गुर्न कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि शेड्यूल एक्स में इसे संस्थागत प्रयोजन माना गया है । और 30 कि.ली. से अधिक खपत पर भाव 32.92 प्रति कि.ली. देना होगा । इस प्रकार हजारे रूपये का बिल उपभोक्ताओं को चुकाना होगा इसलिए जनता ने अनुबंध अस्वीकार किया है ।

नगर निगम का अभिमत

Not with standing anything to the contrary contained in this Agreement save and except the ongoing works of improvement prior to singning of concession agreement planned under the project, it is agreed that there shall be no commission of any parallel competing facility whether by way of construction of a new facility or augmentation of capacities of existing facilities for a period of 25 (Twinty Five) years from the appointed date of the WSS Project

अर्थात

अनुबंध में इस बात पर सहमति है कि कंशेसनर के अलावा :–

1. निर्माण के दौरान नई सुविधा तैयार कर सा
2. पुरानी व्यवस्था का आवर्धन कर प्रभावित क्षेत्र में समानांतर प्रतिस्पार्धी सुविधाऐं कंशेसनर परीयड में नही चलाई जा सकेगी।

इसका अर्थ यह नही है कि नागरीक अपने घरों में लगे ट्यूबवेलो की न तो क्षमता बढा सकेगें या नये निजी ट्यूबवेल नही खोदे जा सकेगें या जिन हैण्डपम्पों में गर्मी के दिनों में जल स्तर निचे जाऐगा वहा अतिरिक्त पाईप नही डाले जा सकते।

31 दावें आपत्ति क्र. 31

15 मीटर उपर तक पानी देने का दावा भी खोखला – नपानि द्वारा गौरी कुज में आयोजित सभा में दावा किया गया था कि कंपनी बिना मोटर के पानी ओव्हर हेड वाटर टेंक तक पहुचाएगी परंतु C4 में अधिसूचना जारी की गई **है कि पानी ग्राउण्ड लेवल तक ही मिलेगा।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

जारी अधिसूचना के पृष्ठ 04 के बिन्दु 04 में विश्वा कंपनी द्वारा 12 मीटर हेड तक जल उपलब्ध कराने का दावा किया गया है वहीं पृष्ठ क्र. 15 बिन्दु सी–4–1 में कंपनी द्वारा कहा गया है कि जल की आपूर्ति उपलब्ध प्रेशर अनुसार की जायेगी और ओव्हर हेड टेंक में पंपीग द्वारा जल को सीधे नहीं लिया जा सकेगा । इन दोनों में बिन्दुओं में भ्रमित किया जा रहा है । योजना के दस्तावेजों में एक स्थान पर दावा किया गया है कि सेवा में कमी के खिलाफ कोनूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । वहीं जल प्रदाय में दबाव की कमी और जल प्रदाय करने में कमी करने पर भी कंपनी

के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी (कंडिका–24 की उपकंडिकाएं)

नगर निगम का अभिमत — योजना में 12 मीटर हेड तक जल प्रदाय किये जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिये ओव्हर हेड वाटर टैंक एवं पम्पिंग सिस्टम तैयार किया गया है। उपभोक्ता को मोटर पम्प के उपयोग की आवश्यकता नही होगी। (इस योजना में उपभोक्ता सर्विस लाईन से मोटर पम्प के द्वारा जल नही खीच सकता, इसलिये अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक बनाकर मोटर पम्प के द्वारा पानी लिया जा सकता है।)

32 दावें आपत्ति क्र. 32 — **C6- 1 मीटर के मापदंड – पानी के मीटर को उपभोक्ता की संपती माना गया है खराब होने पर उसे ही सुधारने का** खर्च वहन करना होगा मीटर के मापदंड के अनुसार यूरोपीयन मीटर जिसकी कीमत 15000/– रू तक होगी उसे भी वहन उपभोक्ता को करना होगा

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — आपत्तिकर्ताओं ने शिकायत दर्ज की है कि योजना दस्तावेजों में दो बातें कही गई है एक स्थान पर कनेक्शन शुल्क के साथ मीटर की कीमत 1200/– दर्शाई गई है जबकि दूसरे स्थान पर अति आधुनिक मीटर की अनिवार्यता बताई गई है इस प्रकार के मीटर की कीमत 10 से 15 हजार रूपये होगी । (शेड्यूल एक्स की कंडिका 20 एवं 28) जिसमें लगाये जाने वाले मीटर के लिए वायरलेस के जरिये ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग इंटरफेस मापदंड की अनिवार्यता बताई गई है । मीटर खराब होने पर दूसरा मीटर यूरोपियन उपभोक्ता को अपने खर्च से लगाना होगा जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15000/– है। जनता से जनसुनवाई में इसे भी अस्वीकार किया है ।

नगर निगम का अभिमत — उपभोक्ता को मीटर की लागत रू. 1200/– आवेगी तथा लगाने की लागत रू. 300/– आवेगी। अनुबंध में दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार, मीटर उपभोक्ता स्वयं क्रय कर सकता है।

33 दावें आपत्ति क्र. 33 — **C5 दूषित जल का निराकरण – अब क्या पानी के साथ साथ उसे बहाने की कीमत भी चुकानी होगी ? नपानि के नियमानुसार** (जिसका कोई विस्तृत उल्लेख नही है) बाध्यता होगी

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी — नगर निगम और उपभोक्ताओं के मध्य किये जाने वाले अनुबंध के बिन्दु क्र. 7(ख) के अनुसार दूषित पानी के निकासी की जिम्मेदारी कंपनी की न होकर उपभोक्ता की मानी गई है जिसे आपत्तिकर्ताओं ने अस्वीकार किया है।

नगर निगम का अभिमत — इसका अर्थ यह है कि नाली बनाकर खुली नाली में मिलावें। भविष्य में सीवर लाईन तैयार होगी तो कनेक्शन सीवर लाईन में मिलाया जावेगा।

34	दावें आपत्ति क्र. 34	बिन्दु क्र. 05 के अनुसार दरें समय–रामय पर शेडयूल K के अनुसार पुनः निर्धारित होगी । आम आदमी भोडयूल K नही जानता था प्रकाशित अधिसचूना में का विस्तृत उल्लेख भी नही है। अतः यह स्पष्ट नही होता है कि कितने प्रतिशत दरें बढेगी इस स्पश्ट करना चाहियें
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने अधिसूचना में उल्लेखित शेड्यूल क्या है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । शेड्यूल K जो कि पानी की दरों रो रांबंधित है का भी विस्तृत उल्लेख अधिसूचना में नहीं दिया गया है । इस प्रकार दरें कब कितनी बढ़ेगी स्पष्ट नहीं है।
	नगर निगम का अभिमत	भोडयूल K के अनुसार 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, तीन साल में 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभावित है। किन्तु इसकी गणना सेंट्रल WPI(Wole Price Index) उपभोक्ता CPI(Consumer Price Index) के अनुसार की जाती है तथा विद्युत+ रॉ–वाटर की दर के अनसुार दरें निर्धारित की जावेगी।
35	दावें आपत्ति क्र. 35	बिन्दु क्र 06 अनुसार नगर निगम क्षेत्र में CPHEEO मेन्युअल के अनुसार शुद्व एवं फिल्टर जल प्रदाय का कहा गया है किन्तु पूरी अधिसूचना में यह उल्लेख नही किया गया कि कंसेशनायर द्वारा विश्वा उक्त मेन्युअल का पानी सप्लाई नही किया जाता है तो शिकायत, दावा कहा करेगें तथा संबंधित कंसेशनायर पर निगम क्या कार्यवाही करेगीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर निगम कंशेसनायर को सुरक्षा प्रदान कर रही है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	आपत्तिकर्ताओं ने अधिसूचना पर आपत्ति की है कि कंपनी का फिल्टर प्लांट नगर निगम की तरह ही होगा (विस्तृत परियोजना रपट पृष्ठ क्र. III) पानी की जितनी अशुद्धियां नगर निगम के फिल्टर प्लांट से दूर हो सकती है वही भी कंपनी के फिल्टर प्लांट से भी होगी , नगर निगम और उपभोक्ताओं के मध्य किये जाने वाले अनुबंध बिन्दु क्र. 07 ख के अनुसार पानी दूषित होने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बल्कि उपभोक्ता की मानी गई है । अधिसूचना में शेडयूल G न तो प्रदर्शित है और न ही स्पष्ट व्याख्या की गई ।
	नगर निगम का अभिमत	शेडयूल G के अनुसार जल प्रदाय निर्धारित होगा तथा इसकी शिकायत विश्वा के द्वारा स्थापित कंज़ूमर सर्विस सेन्टर पर की जावेगी। Volume III page no. 39 (ix) a,b,c and (x) a,b,c तथा नगर निगम के जल विभाग में भी कर सकते है।

परियोजना अधिकारी
खण्डवा

36	दावें आपत्ति क्र. 36	अधिसूचना क C2 कनेक्शन हेतु रोड कंटिग– उपभोक्त को रोड कंटिग हेतु भी निर्धारित शुल्क देना होगा जो कि अनुचित है विश्वा उपभोक्ता से सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन चार्ज, मीटर चार्ज, ले रही है तो यह सुविधा देन कंशेसनायर की जिम्मेदारी होना चाहिये हर चीज का पैस लेगी तो स्वयं क्या करेगी सोचनीय है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधिकांश आपत्तिकर्ताओं ने जो आपत्ति उठाई है वह प्रासंगिक है ।
	नगर निगम का अभिमत	यह व्यवस्था पूर्व से ही है। नगर निगम के पुराने अनुबंध में इसका उल्लेख है और पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित दरों पर राशि निर्धारित की जाती है।
37	दावें आपत्ति क्र. 37	इसी बिन्दु कं 8 में कंसेशनायर उपभोक्ता से अनुबंध करवा रहा है कि पाईप लाईन का औसत जीवन 15 वर्ष बाद इसको बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की रहेगी । उपभोक्ता होने के नाते आम व्यक्ति पूछना चाहता है कि कंशेसनायर से तथा निगम से क्या 15 वर्ष बाद पुनः सडकें खोदकर विश्वा नई पाईप लाईन डालेगी।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	यह आपत्ति भी दुरुस्त है और अधिसूचना में विरोधाभासी बांते उल्लेखित है । आपत्तिकर्ताओं ने उपभोक्ताओं से पाईप की वसूली से इंकार किया है ।
	नगर निगम का अभिमत	यदि 15 वर्ष में खराब होता है तो बदला जा सकता है। यदि खराब नही होता है तो इसकी आवश्यकता नही होगी।
38	दावें आपत्ति क्र. 38	म.प्र. नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के तहत पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषदों का गठन इसलिये किया गया था कि जनता की मूलभूत सुविधाऐं प्रदान की जावे इसमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा जल प्रदाय का संचालन एवं संधारण के लिये किया गया था। म.प्र. नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के सेक्शन 220 सी एवं सेक्शन 221 से 239 तथा 241 से 245 के तहत विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लिमि. हैदराबाद को जलप्रदाय संचालन एवं संधारण के नियमों के विरूद्ध होते हुयें आपत्ति योग्य है। इसलिये इस पर हमारी आपत्ति दर्ज करते है।
	जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी	उल्लेखित दांवे आपत्ति म.प्र. नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के अंतर्गत है जिसमें शासन ने नगर पालिक निगम को अधिकार एवं दायित्व सौपे है । जनता के हितों को अनदेखा करते हुए विश्वा को एकाधिकार दिया जाना न्यायसंगत नहीं है । ऐसा अधिकांश आपत्तिकर्ताओं का मत है ।
	नगर निगम का अभिमत	नगर निगम द्वारा नियमानुसार एवं निति संगत कार्यवाही की गई है। एवं स्वीकृति के पश्चात ही पीपीपी में योजना कियान्वित की गई है तथा आपत्तियों का निराकरण शासन

प्रकिया में किया जा रहा है।

39 दावें आपत्ति क्र. 39

नगर पालिक निगम खण्डवा की जल वितरण प्रणाली जो निगम एवं खण्डवा की जनता की सम्पति है, जिसमें भगवंत सागर डेम, सुक्ता डेम एवं फिल्टर प्लांट, लाल चौकी फिल्टर प्लांट, बाहर के समस्त ओव्हर हेड वाटर टैंक बाहर की समस्त बोरिंग, कुऐं, तालाब एवं मेन राईजिंग पाईप लाईन, पूर्व की वितरण की पाईप लाईन जो लगभग एक अरब छप्पन लाख की कीमत की सम्पत्ति होती है। संधारण एवं संचालन का चार्ज वाणिज्यिक परिपालन के लिये विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि.कंपनी को इसे सौपे जाने पर हमारी आपत्ति है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

खंडवा का आमजन इस अधिसूचना को मान्य नहीं करता है किसी भी प्रकार का गैर कार्य नपानि/विश्वा द्वारा किया जाना आमजन की भावनाओं के विरूद्ध है और खंडवा के वर्षो पुराने जल स्त्रोतों की उपेक्षा करते हुए मौजूद जल स्त्रोतों को इस अनुबंध के द्वारा विश्वा कंपनी को 23 वर्षो के लिए सौपा जाना न्यायसंगत नहीं है । इस लिए जनता से अनुबंध निरस्त करने का आग्रह किया है ।

नगर निगम का अभिमत

विश्वा कंपनी द्वारा इन संपत्तियों का उपयोग जलप्रदाय एवं जलकर वसूली के लिये किया जावेगा सभी संपत्तियां का स्वामित्व नगर पालिक निगम खण्डवा का ही रहेगा।

40 दावें आपत्ति क्र. 40

विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय तथा 12 मीटर हेड तक (यानी लगभग 40 मीटर उचाई तक) जल प्रदाय उपलब्ध रहेगा एवं प्रतिदिन उपभोक्ता को न्युनतम 135 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध हो सके इसकी जिम्मेदारी कंशेसनायर कंपनी द्वारा वितरण व्यवस्था की रहेगी यह तीनो स्थिति का प्रदर्शन (डेमो) एक माह तक विशेष झोन में किया जायें। इसके बाद भी अगर कंपनी द्वारा 24 घंटे 7 दिन एवं 40 फुट हेड तक जल प्रदाय नही किया गया तो कंपनी से क्या हर्जाना वसूला जावेगा। यह स्पष्ट नही है इसलिए इस प्रकिया पर हमारी आपत्ति है एवं यह भी स्पष्ट नही है कि कंशेसनायर द्वारा वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। वितरण व्यवस्था क्या है, जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहियें, इस पर भी हमारी आपत्ति है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

अधिसूचना में यह कही स्पष्ट नहीं है कि 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय तथा 12 मीटर हेड तक जल प्रदाय उपलब्ध रहेगा । यदि 24 घंटे जल प्रदाय नहीं होता है तो भी रहवासी इसकी शिकायत नहीं करेंगे। अनुबंध का पांचवा संशोधन– कंडिका 1.4 एवं 1.5 नगर निगम और

कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

उपभोक्ता के मध्य किये जाने वाले अनुबंध की अंतिम पंक्ति। आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति है कि इस प्रक्रिया में कंपनी पूर्णतः जिम्मेदार है, बेहतर है कि वितरण व्यवस्था नपानि ही करें ।

नगर निगम का अभिमत

विश्वा कंपनी द्वारा डिमास्ट्रेशन झोन में इसका प्रदर्शन किया जावेगा।

इसके पश्चात ही पूरे बाहर में उक्त प्रकिया अपनाई जावेगी।

41 दावें आपत्ति क्र. 41

प्रति माह मीटर रीडिंग के अनुसार निर्धारित जल दर के आधार पर प्रतिमाह बिल निर्धारित राशि तय करने के संबंध में अधिसूचना में मॉडयूल आई का विस्तृत प्रका न नही किया गया है। इसलिये इस पर भी हमारी आपत्ति है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

सभी आपत्तिकर्ताओं ने मीटर से जल प्रदाय का विरोध किया है । जनता मीटर कतई नहीं चाहती है । अधिसूचना में मॉडयूल–आई का विस्तृत प्रकाशन न होना इसका सबसे बड़ा कारण है ।

नगर निगम का अभिमत

प्रतिमाह मीटर रिडिंग के अनुसार उपभोक्ता के प्रकार के अनुसार तथा मोडयूल आई में दी गई दरों के अनुसार ही बिल तैयार कर वितरित किये जावेगें।

42 दावें आपत्ति क्र. 42

शहर को 10 झोनो में बाटा गया है प्रत्येक झोन में जल वितरण के लिये पाईप लाईन डाल दी गई है। यह स्पष्ट नही है। सम्पूर्ण नगर निगम में 10 झोनल कार्यालय **कहाॅ–कहाॅ होगें इसका भी अधिसूचना में प्रकाशन नही किया गया वितरण पाईप लाईन अधूरी डाली गई है। इसलिये हमारी आपत्ति है तथा 10 झोलन कार्यालय क्या** शासकीय भूमि पर कार्यालय होने पर कंपनी से किराया **लिया जायेगा या निशुल्क दिया जायेगा। इसको स्पष्ट किया जावें।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त दावे आपत्ति क्र. 42 सही है । आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी में जनता ने जल वितरण व्यवस्था पर घोर आपत्ति ली है । अधिकांश ने वर्तमान व्यवस्था पर ही संतोष व्यक्त किया है । जनता ने अधिसूचना को रद्द किये जाने का अनुरोध किया है । किसी निजी कंपनी को एकाधिकार दिये जाने का विरोध किया है । जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य आगे बढ़ाने का भी अनुरोध जनता ने किया है ।

नगर निगम का अभिमत

प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि

झोन नं.	ओव्हर हेड वाटर टैंक
1	सर्किट हाउस
2	विट्ठल नगर
3	गुलमोहर कॉलोनी

4	झीलोद्यान
5	औद्योगिक क्षेत्र
6	श्रामेश्वर रोड
7	विजय नगर
8	सकुन नगर
9	डाईट कॉलेज
10	इतवारा बाजार

1. कंपनी से किराया नही लिया जावेगा।
2. अधूरी पाईप लाईन का कार्य पूरा किया जावेगा।

43 दावें आपत्ति क्र. 43

कंशेसनायर उपभोक्ता को अनुबंध करने पर हमारी आपत्ति है। उपभोक्ता अनुबंध फार्म मॉडयूल आई के साथ मुख्य अनुबंध में संलग्न है यह कहा गया है जबकि अनुबंध फार्म का मॉडयूल आई के साथ प्रकाशन अधिसूचना में करना अतिआवश्यक है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

मॉडयूल आई का प्रकाशन अधिसूचना में नहीं है । आवेदनकर्ताओं ने अनुबंध की शर्तो को अमान्य किया है ।

नगर निगम का अभिमत

आवश्यकता होने पर अनुबंध के आवश्यक प्रपत्र भी उपलब्ध करावे जावेगें।

44 दावें आपत्ति क्र. 44

प्राईस रेन्व्यू कमेटी में कौन–कौन सदस्य होगें यह भी स्पष्ट नही है। किमत प्रत्येक तीन वर्ष में बढाने पर 23 वर्षो में लगभग 7 गुना कीमत बढ जायेगी।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

अधिसूचना में जारी प्राइस की वृद्धि की जो दर बताई गई उसके मान से 23 वर्षो में 7 गुना कीमत बढ़ जायेगी । इस बात पर आपत्तिकर्ताओं ने घोर आपत्ति दर्ज की है और जहां तक जनता को ज्ञात है , प्राइस रेवेन्यू कमेटी में विश्वा और नगर पालिक निगम के लोगों को ही शामिल किया गया है, बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया है इस पर भी आपत्ति दर्ज है ।

नगर निगम का अभिमत

प्राईस रेन्व्यू कमेटी में निम्न सदस्य होगें :–

1. मुख्य लेखा अधिकारी नगर पालिक निगम खण्डवा
2. के.एम.सी. इंजीनियर नगर पालिक निगम खण्डवा
3. मुख्य ऑडिटर नगर पालिक निगम खण्डवा
4. एक विश्वा कंपनी का प्रतिनिधि

कुल 4 सदस्य होगें।

45 दावें आपत्ति क्र. 45

अधिसूचना में ऐसा लिखा है कि अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस पश्चात से विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि.हैदराबाद कनेक्शनो में मीटर लगाने का कार्य, अवैध कनेक्शनो को नियमित करने का कार्य प्रारंभ करेगा। इसके अंतर्गत राजपत्र प्रकाशन के पूर्व एवं जल वितरण का डिमार्टटेशन एक माह करे बिना कंपनी जल वितरण प्रारंभ नही कर

परियोजना अधिकारी
जे.एन.एन.यू.आर.एम. खण्डवा

सकेगी । नोटिस वितरण भी नही कर सकेगा।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आवेदकर्ताओं द्वारा योजना के स्वरूप से लेकर चल रहे निर्माण पर आपत्तियां उठाई है । अधिसूचना जन विरोधी होने के कारण तथा योजना के प्रारंभ में ही नोटिफिकेशन जारी न किये जाने को लेकर जनता में असंतोष है और जनता ने योजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है ।

नगर निगम का अभिमत

1. सार्वजनिक नलो के स्थान पर ग्रुप कनेक्शन की व्यवस्था रहेगी।
2. अधिसूचना के पश्चात नियम बनने के पश्चात ही मीटर की कार्यवाही होगी।
3. तब तक फ्लैट दर में जल प्रदाय किया जावेगा।
4. डिमास्ट्रेशन झोन तैयार करने पश्चात ही मीटर लगावें जावेगें।

46 दावें आपत्ति क्र. 46

अधिसूचना में जारी **(D)(II)** जल दर की तालिका में जल की दरें तालिका में दर्शायी गई है जो कि मेयर इन कांसिल की बैठक दिनांक 16/02/2009 को संपन्न हुई थी के अनुसार .... विशय कं 11 के तहत छोटे तथा मंझौले नगर की अधोसंरचना विकास योजना **(UIDSSMT)** अंतर्गत खण्डवा भाहर की जल प्रदाय योजना की दर स्वीकृति बाबत प्रस्ताव पास किया गया था। जिसमें इस योजना में भागिल निविदाकर्ताओं की निविदा खोलकर दर स्वीकृति हेतु रखा गया था जिसमें वि वा कंपनी हैदरावाद की दर 11.95 प्रति कि.ली दर आयी थी जिसमें दिनांक 12/02/2009 को प्राप्त निविदा दरों को तुलनात्मक पत्रक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। राज्य स्तरीय तकनीकी द्वारा निर्णय लिया गया की न्यूनतम निविदाकार विश्वा कंपनी की दर 11.95 प्रति कि.ली. उचित है उक्त स्वीकृति प्रदान की गई थी उसमें कही पर भी तालिका बनाकर दर बढाने की स्वीकृति नही दी गई है। **इसलिये इस पर हमारी आपत्ति है।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आवेदकर्ता/आपत्तिकर्ताओं ने जो आपत्ति ली है वह यह है कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें कही पर भी तालिका बनाकर दर बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी गई है । जिसका खुलासा कंपनि/विश्वा ने अधिसूचना में कहीं नहीं किया है ।

नगर निगम का अभिमत

निविदा में सामान्य उपभोक्ता के लिये दर मंगाई गई थी जो कि रू. 11.95 प्रति किलो लीटर थी।

उसके आधार पर निविदा प्रपत्र में दी गई अनुसार अन्य उपभोक्ताओं के लिये दर निर्धारित की गई

1. संस्थागत
2. व्यवसायिक

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

3. औद्यौगिक
4. घरेलू /बी.पी.एल

47 दावें आपत्ति क्र. 47

यह एक शासकीय संस्था है, वर्तमान में महाविद्यालयीन परिसर, छात्रावास, स्टॉफ क्वार्टर्स एवं गार्डन में जलप्रदाय भाासन द्वारा उपलब्ध करवाये गयें जल स्त्रोतो (नलकुपो) से किया जाता है। अतः शासन द्वारा उपलब्ध उक्त जल स्त्रोतो (शासकीय सम्पत्ति) का अधिगृहण नगर पालिक निगम एवं कंशेसनायर एजेंसी द्वारा किया जाना विधि संगत नही है। यदि ऐसा किया जाता है तो एक भाासकीय संस्था के हितो का हनन होगा। संविधान के अनुच्छेद/धाराओं का उल्लंघन होगा, जिसकी पूर्व जवाबदारी विश्वा यूटिलिटिज के साथ–साथ नगर पालिक निगम खडवा की होगी।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

शासकीय संस्थाओं ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि उनके पास जल स्त्रोत शासकीय संपत्ति के तौर पर है जिनका अधिग्रहण विश्वा कंपनी या नपानि द्वारा किया जाना विधि संगत नहीं है जैसा कि अधिसूचना में दर्शाया गया है ।

नगर निगम का अभिमत

संस्थाऐं अपने जल प्रदाय संबंधी संसाधनो का उपयोग करने के लिए स्वततत्र रहेगी एवं नगर पालिक निगम एवं कंशेसनायर द्वारा इसका अधिग्रहण नही किया जावेगा।

48 दावें आपत्ति क्र. 48

इस महाविद्यालय में प्रतिमाह लगभग 2500 किलो लीटर पानी की खपत है, जारी अधिसूचना के अनुसार लगभग 9 लाख रूपयें प्रतिवर्ष शासन पर भार पडेगा। अतः नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद को जल प्रदाय संचालन एवं संधारण के अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किये जाने से असहमत/ स्वीकर योग्य नही है।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

शासकीय संस्थाओं ने भी जल प्रदाय संचालन एवं संधारण के अधिकार एवं कर्तव्य विश्वा कपनी को प्रदाय किये जाने से असहमति व्यक्त की है और स्वीकार योग्य नहीं बताया है । क्योंकि शासन के निजी जल स्त्रोतों के अधिग्रहण से शासन पर लाखों रूपये प्रतिवर्ष भार पड़ेगा ।

नगर निगम का अभिमत

49 दावें आपत्ति क्र. 49

नगर पालिक निगम सीमा में नयें गांवों को जोडा गया है, उन गांवो पर भी यह अधिसूचना लागू होगी तो वे गांव वाले अपनी कृषि के लिये पानी की व्यवस्था कहॉ से करेगें। इसे भी उल्लेखित कर अधिसूचना में सम्मिलित किया जावें।

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आवेदनकर्ताओं ने आपत्ति क्र. 49 में नपानि सीमा से लगे गांवों के संबंध में आपत्ति ली है जिसका अधिसूचना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

नगर निगम का अभिमत

कृषक एवं भू–स्वामी अपने जल प्रदाय संबंधी संसाधनो का

उपयोग करने के लिए स्वततत्र रहेगी तथा नगर पालिक निगम एवं कं ोसनायर द्वारा इसका अधिग्रहण नही किया जावेगा।

50 दावें आपत्ति क्र. 50 **नर्मदा जल को अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में उपयोग किय जावें।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी आवेदनकर्ता/आपत्तिकर्ताओं ने जारी अधिसूचना पर यह आपत्ति ली है कि नपानि खंडवा की जल वितरण प्रणाली जो निगम/खंडवा की जनता की संपत्ति है, जिसमे भगवंतसागर बांध, सुक्ता बांध, नागचून तालाब, फिल्टर प्लांट, लाल चौकी फिल्टर प्लांट, शहर के समस्त ओव्हरहेड टेंक, बोरिंग, कुंए तालाब, एवं मेन राईजिंग पाईप लाइन पूर्व की वितरण पाईप लाइने जो कि लगभग एक अरब 56 लाख की संपत्ति होती है । संचालन एवं संधारण का आधिपत्य विश्वा कंपनी को बिना शुल्क/किराया लिये किस आधार पर सौपा जा रहा है ? जनता यह चाहती है कि इन स्त्रोतों का दोहन नगर वासियों के लिए काफी है केवल वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है जिसे सुधारा जाय और नर्मदा जल को अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में / औद्योगिक उपयोग के लिए किया जावे ।

नगर निगम का अभिमत यह योजना नर्मदा जल प्रदाय को मुख्य स्त्रोत के रूप में उपयोग किये जाने को लेकर तैयार की गई है तथा नागचून को स्वीकृत डी.पी.आर. में औद्योगिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जावेगा एवं सुक्ता सुक्ता के संबंध में एम आई सी.,साधारण सभा एवं शासन द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

51 दावें आपत्ति क्र. 51 **शहरो में जल प्रदाय हेतु शहरी बोर्ड व्यवस्था होनी चाहियें।**

जनता द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपत्तिकर्ताओं ने जल प्रदाय हेतु बोर्ड के गठन की आवश्यकता बतलाई है । जिसके माध्यम से नगर पालिका निगम जल आपूर्ति सुनिश्चित करें ।

नगर निगम का अभिमत राज्य शासन द्वारा जल बोर्ड की स्थापना की जाती है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि"

जिला पंचायत खण्डवा

अध्याय – 5

स्वतंत्र समिति का अभिमत

"सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि"

14/6
परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

समिति द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया में विश्वा कंपनी का पक्ष, नगर निगम का पक्ष एवं जनता का पक्ष सुनने के पश्चात् स्वतंत्र समिति का अभिमत

5.1 आयुक्त नगर निगम खंडवा / एमआईसी खंडवा द्वारा इस योजना को लागू करने में बार–बार शासन के निर्देशों एवं नियमों तथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की अवहेलना की है जिससे योजना का यथार्थ स्वरूप ही बदल गया है । खंडवा की जनता इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इसी का परिणाम है कि अधिसूचना प्रकाशित होने पर इतनी अधिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई । ऐसी परिस्थिति में यदि योजना को इसी स्वरूप में लागू किया जाता है तो नागरिकों को एवं प्रशासन को कठिनाई हो सकती है । आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा नगर निगम की साधारण सभा (नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 291 के प्रावधानों के तहत) एवं एमआईसी की बिना पूर्व स्वीकृति लिए निविदा प्रपत्र में भारी फेरबदल अडेण्डम–4 के माध्यम से किया जो कि एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है । आयुक्त नगर निगम खंडवा को अडेण्डम 4 इस रूप में जारी करने का अधिकार नही था । इस फेरबदल से योजना का स्वरूप ही बदल गया एवं निविदाकर्ता को अनेक गैर वाजिब सुविधाएं प्रदान की गई है । जनता पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा ।

अडेण्डम 4 के शेडयूल बी की कंडिका बी–2 के बिन्दु क्र.09 के अंत में एक नोट डालकर पाईप मटेरियल को भी इसी अडेण्डम के तहत चुनने की स्वतंत्रता निविदाकर्ता को दे दी गई , यह छूट अडेण्डम 4 को लागू करने के पूर्व में नही थी । साथ ही साथ अडेण्डम 4 के शेडयूल बी–2 की कंडिका 6 में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (वितरण पाईप लाइन) के अंतर्गत बिछाई जाने वाली पाइप लाइन की लंबाई 120 कि.मी. से घटाकर आधी कर 60 कि.मी. कर दी गई इससे भी सीधा फायदा निविदाकर्ता को ही प्राप्त हुआ है ।

अडेण्डम 4 के शेडयूल बी "Scope of work" के अंतर्गत बिन्दु बी–1(IV(B) की कंडिका जिसमें कि सीओडी के पश्चात् डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी द्वारा खंडवा नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना उल्लेखित था, इस बिन्दु को विलोपित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आयुक्त नगर निगम प्राइस ऑफर 2 के तहत ही कंपनी से सीधे उपभोक्ता को प्रति लीटर के आधार पर जल वितरण करना चाहते थे एवं इसी आधार पर निविदा स्वीकृत करना चाहते थे जिससे नगर निगम प्राइस ऑफर 1 जिसमें कि बल्क क्वांटिटी में नगर निगम पानी कंपनी से लेकर वितरण करने हेतु दायित्वाधीन होता । इसी परिवर्तन के कारण यह योजना विवादों में आई। आयुक्त नगर निगम को इस फेरबदल का कोई अधिकार नहीं था । इस प्रकार के फेरबदल को सर्वप्रथम नगर निगम की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाना था तत्पश्चात् 30 दिवस की अवधि में इस संशोधन को प्रकाशित कर जनता को अवगत कराया जाना था एवं इस पर आपत्तियां प्राप्त कर आगामी निर्णय लिया जाना था । राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा भी उक्त तथ्यों को रेखांकित करते हुए उन परिस्थितियों का हवाला देते हुए योजना [illegible] मंजूरी दी कि "आयुक्त नगर निगम खंडवा द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति के अंतिम निर्णय के अनुरूप कार्य नहीं किया है एवं बिना अनुमति के कार्यादेश जारी किये है"

दिया गया है, इन परिस्थिति में निविदा निरस्त करने पर नगर निगम एवं खंडवा की जनता को कठिनाई आ सकती है"।

जनता की सबसे प्रमुख आपत्ति "जल का निजीकरण नहीं होना चाहिए एवं अनुबंध निरस्त किया जाना चाहिए" के संदर्भ में जनता के द्वारा योजना के निजीकरण एवं अनुबंध के संबंध में बहुत सारी विसंगतियां का उल्लेख किया गया एवं तथ्य प्रस्तुत किये गये जिसके संबंध में नगर निगम एवं विश्वा युटीलिटीज ने अपना पक्ष रखा एवं स्पष्टीकरण दिया । सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एवं दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस अनुबंध में बहुत सारी अनियमितताएं है जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है । अतः समिति के मतानुसार यह अनुबंध निरस्त करने योग्य है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन दो हिस्सों में होता जिसमें बल्क सप्लाय एवं उपभोक्ता को सीधे जल वितरण का कार्य पृथक–पृथक किया जाता जैसा कि निविदा मूल स्वरूप में था । यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार निर्णय जिला स्तरीय तकनीकी समिति दिनांक 02.04.2008 में लिया गया था एवं राज्य साधिकार समिति द्वारा इसी प्रकार का निर्णय लिया गया था । लेकिन यह निर्णय लेने की वैधानिक अधिकारिता इस समिति के पास नहीं है । अतः यह समिति शासन से यह निवेदन करती है कि इन बिन्दुओं पर जांच कर जनता के हित में आवश्यक निर्णय लेने का कष्ट करें ।

इसी से संबंधित समिति का यह भी सुझाव है कि जल वितरण, संचालन एवं जलकर के संबंध में समय–समय पर निर्णय लेने के लिए एक जल बोर्ड का गठन किया जाय जो कि स्वतंत्र रूप से जल कर का निर्धारण कर सके । यह इसलिए भी आवश्यक है कि क्योंकि यह शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें शासन द्वारा 90 करोड़ से अधिक अनुदान के रूप में दिया गया है ।

5.2 मीटर लगाये जाने अथवा फ्लेट रेट पर जल प्रदाय किये जाने की आपत्ति के संबंध में समिति का अभिमत है कि मीटर लगाने से पानी के अपव्यय को नियंत्रित किया जा सकता है एवं नगर पालिका निगम के अधिनियम 1956 के तहत मीटर लगाये जाने के प्रावधान है । मीटर लगाये जाने के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां एवं डर है ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता फ्लेट दर पर पानी लेना चाहते है उन्हें नगर निगम फ्लेट रेट पर निश्चित समय के लिए पानी उपलब्ध करायें एवं मीटर लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को थोडे से रियायती दर पर पानी उपलब्ध करायें ।

5.3 24 घंटे पानी प्रदाय किया जावे अथवा एक या दो घंटे इस संबंध में समिति का अभिमत है कि इसका निर्धारण भी जल बोर्ड एवं नगर निगम के द्वारा किया जाय ।

5.4 नगर निगम अपने वर्तमान जल स्त्रोतों को भी स्वयं के अधिकार क्षेत्र में रखें । इसकी भी अनुशंसा करती है ताकि धार्मिक एवं सामाजिक दायित्व जो खंडवा की

"सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि"

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत खण्डवा

जनता उत्सवों, त्यौहारों पर निःशुल्क जल वितरण कर निभाना चाहती है उसमें नगर पालिक निगम भी सहभागी बने ।

5.5 समिति का अभिमत है कि बीपीएल परिवारों/स्लम एरिया में अधिक से अधिक सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट नगर निगम द्वारा लगाये जावे ताकि इस क्षेत्र के निवासियों का अधिक समय पानी की व्यवस्था करने में न व्यर्थ जाय एवं वे भी शिक्षा तथा रोजगार हेतु अपना अधिक समय प्रदान कर सके । समय रहते चरणबद्ध तरीके से इन बस्तियों में भी प्रत्येक घर के सामने उनका पृथक नल कनेक्शन हो ऐसी व्यवस्था नगर पालिक निगम करें तब ही यूआईडीएसएसएमटी जैसी योजनाओं का सही लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित हो सकेगा ।

5.6 नगर निगम खंडवा, नगर निगम सीमा में स्थित औद्योगिक इकाईयों को राज्य शासन की नीति के अनुरूप एवं निर्धारित रियायती दरों पर जल वितरण करें ताकि खंडवा शहर में पानी की सुलभता के आधार पर औद्योगिक विकास हो सकें ।

5.7 समिति निजीकरण पर जिस निष्कर्ष पर पहुंची है उसके प्रकाश में नगर निगम द्वारा जल प्रदाय किये जाने पर कोई पेरल वाटर सप्लाय नहीं होनी चाहिए ।

इस प्रकार जो शेष आपत्तियां है जिनका स्वरूप उपरोक्त आपत्तियों के जैसा है, का भी उपरोक्तानुसार निराकरण किया जाता है ।

(तरूण कुमार पिथौड़े) आय.ए.एस अध्यक्ष स्वतंत्र समिति,	(वी.एस. वारस्कर) संयोजक स्वतंत्र समिति	(ताराचंद अग्रवाल) सदस्य स्वतंत्र समिति	(भारत इंवर) सदस्य स्वतंत्र समिति

(तरूण जैन) सदस्य स्वतंत्र समिति,	(रियाज हुसैन) सदस्य स्वतंत्र समिति	(ए.पी. साकल्ले) सदस्य स्वतंत्र समिति

"सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत
प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि"

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत, खण्डवा